रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16082024-256437
CG-DL-E-16082024-256437

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 463] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 14, 2024/श्रावण 23, 1946
No. 463] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 14, 2024/SHRAVANA 23, 1946

खान मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 अगस्त, 2024

सा.का.नि. 502(अ).—केन्द्रीय सरकार, अपतट क्षेत्र खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2002 (2003 का 17) की धारा 35 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

अध्याय 1 प्रारंभिक

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम अपतट क्षेत्र खनिज (नीलामी) नियम, 2024 है।**

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं.—**(1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" से अपतट क्षेत्र खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2002 (2003 का 17) अभिप्रेत है;

(ख) "क्षेत्र" का अर्थ वही होगा जो धारा 4 की खंड (ढ) के अधीन 'अपतट क्षेत्रों' को दिया गया है;

(ग) "खनिज ब्लॉक" से अधिनियम के उपबंधों के अनुसार प्रशासकीय प्राधिकारी द्वारा जारी निविदा दस्तावेज में यथा विनिर्दिष्ट सन्निहित मानक ब्लॉक सहित विनिर्दिष्ट अक्षांश और विनिर्दिष्ट देशांतर द्वारा परिलक्षित क्षेत्र अभिप्रेत है;

(घ) "अपतट खनिज विकास और उत्पादन करार" से नियम 10 के उप- नियम (5) या नियम 18 के उप-नियम (8) में निर्दिष्ट करार अभिप्रेत है;

(ङ) "अधिमानित बोली लगाने वाला" से नियम 9 के उप-नियम (9) में विनिर्दिष्ट बोली लगाने वाला अभिप्रेत है;

(च) "अर्हित बोली लगाने वाला" से नियम 9 के उप-नियम (8) में विनिर्दिष्ट बोली लगाने वाला अभिप्रेत है;

(छ) "आरक्षित कीमत" से नियम 8 के उप-नियम (1) में यथा निर्दिष्ट प्रेषित खनिज मूल्य का न्यूनतम प्रतिशत अभिप्रेत है;

(ज) "अनुसूची" से इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है;

(झ) "धारा" से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है;

(ञ) "प्रतिभूति लिखित" से इन नियमों की अनुसूची 2 और अनुसूची 3 में वस्तुतः उपबंधित प्ररूप में बैंक प्रत्याभूति, प्रतिभूति निक्षेप या केंद्रीय सरकार, खान मंत्रालय द्वारा यथा विनिर्दिष्ट ऐसे अन्य लिखतें जिन्हें इन नियमों के अनुसार बोली प्रतिभूति या संपादन प्रतिभूति के रूप में प्रस्तुत किया गया है, अभिप्रेत है।

(ट) "सफल बोली लगाने वाला" से नियम 10 के उप-नियम (4) या नियम 18 के उप-नियम (3) में निर्दिष्ट बोली लगाने वाला अभिप्रेत है;

(ठ) "तकनीकी रूप से अर्हित बोली लगाने वाला" से नियम 9 के उप-नियम (6) में विनिर्दिष्ट बोली लगाने वाला अभिप्रेत है;

(ड) "निविदा दस्तावेज" से नियम 9 के उप-नियम (2) में निर्दिष्ट नीलामी करने के लिए प्रशासकीय प्राधिकारी द्वारा जारी निविदा दस्तावेज अभिप्रेत है;

(ढ) "अग्रिम संदाय" से नियम 11 के उप-नियम (1) में निर्दिष्ट संदाय अभिप्रेत है;

(ण) "अनुमानित संसाधनों का मूल्य" से निम्नलिखित के गुणनफल के बराबर रकम अभिप्रेत है,–

IndiaCode

(i) खनिज संसाधनों की अनुमानित मात्रा जिसके लिए खनिज ब्लॉक की नीलामी की जा रही है, मीट्रिक टन में अभिव्यक्त की गई; और

(ii) अनुमानित संसाधनों के मूल्य की संगणना के मास से ठीक पूर्ववर्ती बारह मास की अवधि के लिए भारतीय खान ब्यूरो द्वारा प्रकाशित ऐसे खनिज या खनिज ग्रेड का प्रति मीट्रिक टन औसत कीमत:

परंतु यह कि यदि किसी खनिज या खनिज ग्रेड के लिए किसी मास की औसत विक्रय कीमत भारतीय खान ब्यूरो द्वारा प्रकाशित नहीं की जाती है, तो ऐसे खनिज या खनिज ग्रेड के लिए प्रकाशित नवीनतम मास की औसत विक्रय कीमत उक्त मास की औसत विक्रय कीमत मानी जाएगी, जिसके लिए औसत विक्रय कीमत प्रकाशित नहीं की गई है:

परंतु यह और कि यदि किसी खनिज या खनिज ग्रेड के लिए पूर्ववर्ती बारह मास की संपूर्ण अवधि के लिए औसत विक्रय कीमत प्रकाशित नहीं की जाती है, तो ऐसे खनिज या खनिज ग्रेड के लिए औसत विक्रय कीमत भारतीय खान ब्यूरो के द्वारा विनिर्दिष्ट अनुसार होगी; और

(त) "प्रेषित खनिज का मूल्य" का शब्द नियम 8 के उपनियम (2) में विनिर्दिष्ट होगा।

(2) इन नियमों में प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्तियां किन्तु इसमें परिभाषित नहीं हैं, का वही अर्थ होगा जो अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों में उन्हें दिया गया है।

3. लागू होना.– ये नियम निम्नलिखित के सिवाय सभी खनिजों पर लागू होंगे,-

(i) धारा 3 की उपधारा (1) में वर्णित खनिज तेल और हाइड्रोकार्बन;

(ii) खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की पहली अनुसूची के भाग ख में केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर यथा अधिसूचित प्रारंभिक मूल्य के बराबर या उससे अधिक ग्रेड वाले विनिर्दिष्ट खनिज।

4. संक्रिया अधिकार अनुदत्त करना.– (1) जहां किसी क्षेत्र में खनिज संसाधनों की विद्यमानता अपतट क्षेत्र (खनिज संसाधनों की विद्यमानता) नियम, 2024 में यथा विनिर्दिष्ट स्थापित की गई है, वहां उत्पादन पट्टा इन नियमों के अध्याय-2 के अधीन विनिर्दिष्ट रीति से अनुदत्त किया जाएगा।

(2) किसी क्षेत्र के संबंध में संयुक्त अनुज्ञप्ति, जहां अपतट क्षेत्र (खनिज संसाधनों की विद्यमानता) नियम, 2024 के नियम 5 में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं का समाधान किया

गया है, इन नियमों के अध्याय 3 के अधीन विनिर्दिष्ट रीति में अनुदत्त की जाएगी।

अध्याय 2

उत्पादन पट्टा अनुदत्त करना

5. उत्पादन पट्टे की नीलामी के लिए पूर्वापेक्षाएँ–(1) प्रशासनिक प्राधिकरण, किसी क्षेत्र के संबंध में धारा 13 के अनुसारण में उत्पादन पट्टा अनुदत्त करने के लिए नीलामी प्रक्रिया आरंभ कर सकता है, यदि ऐसे क्षेत्र में खनिज संसाधनों की विद्यमानता अपतट क्षेत्र (खनिज संसाधनों की विद्यमानता) नियम, 2024 के उपबंधों के अनुसार स्थापित की गई है।

(2) प्रशासनिक प्राधिकरण, केंद्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से तथा खनिज निलामी के संबंध में निविदा आमंत्रण नोटिस जारी करने से पूर्व ऐसे खनिज ब्लॉक की पहचान करेगा, जिसके लिए ऐसे खनिज ब्लॉक के सीमा कोण के अक्षांश और देशांतर को विनिर्दिष्ट करने के द्वारा नीलामी के माध्यम से उत्पादन पट्टा अनुदत्त किया जाना प्रस्तावित है।

6. उत्पादन पट्टे के लिए पात्रता.– (1) उत्पादन पट्टे की नीलामी में भाग लेने के प्रयोजन के लिए, आवेदक को धारा 6 में यथा विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं तथा अनुसूची-1 में यथा विनिर्दिष्ट पात्रता की निबंधन और शर्तों को पूरा करना।

(2) सफल बोली लगाने वाला पर विनिश्चय निविदा दस्तावेजों की निबंधन और शर्तों के साथ पठित अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले बोली लगाने वालों द्वारा प्रस्तुत वित्तीय बोलियों के आधार पर ही लिया जाएगा।

(3) कोई बोली लगाने वाला किसी खनिज ब्लॉक की नीलामी में केवल एक बोली लगाएगा तथा बोली लगाने वाले का कोई सहयोगी उसी नीलामी में कोई बोली लगाएगा, जहां ऐसे बोली लगाने वाले ने बोली लागाई है।

(4) बोली लगाने वाले द्वारा किसी खनिज ब्लॉक की नीलामी में एक से अधिक बोलियां लगाता है या किसी बोली लगाने वाले का कोई सहयोगी उसी नीलामी में बोली लगाता है, जहां ऐसे बोली लगाने वाले ने बोली लगायी है, उस दशा में बोली लगाने वाले तथा उसके सहयोगी द्वारा लगायी गई बोलियां अस्वीकृत कर दी जाएंगी।

स्पष्टीकरण.– इस नियम के प्रयोजन के लिए,–

(i) बोली लगाने वाले के संबंध में "सहयोगी" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत होगा, जो,-

(क) ऐसे बोली लगाने वाले को नियंत्रित करता है;

(ख) ऐसे बोली लगाने वाले द्वारा नियंत्रित है;

(ग) ऐसे बोली लगाने वाले के साथ सामान्य नियंत्रण में है;

(घ) बोली लगाने वाले की सहयुक्त कंपनी है; या

(ङ) ऐसे बोली लगाने वाला की समनुषंगी कंपनी है।

(ii) "सहयुक्त कंपनी", "नियंत्रण" और " समनुषंगी कंपनी" पदों का वही अर्थ होगा जो कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) में उन्हें दिया गया है।

7. इलेक्ट्रॉनिक नीलामी.– (1) नीलामी, ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक नीलामी मंच के माध्यम से ही संचालित की जाएगी।

(2) प्रशासनिक प्राधिकरण किसी ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक नीलामी मंच का उपयोग कर सकता है जो भारत सरकार, संचार और सूचना प्रौद्यौगिकी मंत्रालय, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, मानकीकरण परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय द्वारा जारी ई-खरीद प्रणालियों की गुणवत्ता अपेक्षाओं के अनुपालन हेतु मार्गदर्शक सिद्धांतों में यथा विनिर्दिष्ट न्यूनतम तकनीकी और प्रतिभूति अपेक्षाओं को पूरा करता है।

8. बोली लगाने के मापदंड.– (1) प्रशासनिक प्राधिकरण निविदा दस्तावेज में प्रेषित किए गए खनिज के मूल्य का न्यूनतम प्रतिशत विनिर्दिष्ट करेगा, जिसे "आरक्षित मूल्य" के रूप में जाना जाएगा।

(2) प्रेषित खनिज का मूल्य, निम्नलिखित के गुणनफल की बराबर रकम होगा,—

(क) एक मास में प्रेषित खनिज; और

(ख) ऐसे प्रेषण मास के लिए भारतीय खान ब्यूरो द्वारा यथा प्रकाशित खनिज विक्रय मूल्य (ग्रेड-वार)।

(3) बोली लगाने वाला, बोली मानदंड के अनुसार, केन्द्रीय सरकार को संदाय के प्रयोजन के लिए, प्रेषित खनिज मूल्य का प्रतिशत आरक्षित मूल्य के बराबर या उससे अधिक उद्धृत करेंगे तथा सफल बोली लगाने वाला, केन्द्रीय सरकार को निम्नलिखित के गुणनफल की बराबर रकम का संदाय करेगा,—

(क) उद्धृत प्रतिशत; और

(ख) प्रेषित खनिज का मूल्य।

(4) जहां किसी क्षेत्र की एक से अधिक खनिजों के लिए नीलामी की जा रही है, वहां उप-नियम (3) के अधीन सफल बोली लगाने वाले द्वारा यथा उद्धृत प्रेषित खनिज के मूल्य का प्रतिशत, ऐसे प्रत्येक खनिज के संबंध में केन्द्रीय सरकार को संदाय के प्रयोजन के लिए लागू होगा।

(5) यदि उत्पादन पट्टा अनुदत्त करने के पश्चात् एक या एक से अधिक नए खनिजों की खोज की जाती है, तो उप-नियम (3) के अधीन सफल बोली लगाने वाले द्वारा उद्धृत किए गए अनुसार प्रेषित खनिज

के मूल्य का प्रतिशत ऐसे प्रत्येक खनिज के संबंध में केन्द्रीय सरकार को संदाय के प्रयोजन के लिए लागू होगा:

परंतु यह कि यदि तत्पश्चात् खोजे गए खनिज, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की पहली अनुसूची के भाग घ या सातवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट खनिज हैं, तो उप-नियम (3) के अधीन सफल बोली लगाने वाले द्वारा उद्धृत किए गए अनुसार प्रेषित खनिज के मूल्य के प्रतिशत का दस प्रतिशत ऐसे प्रत्येक खनिज के संबंध में केन्द्रीय सरकार को संदाय के प्रयोजन के लिए लागू होगा।

9. बोली प्रक्रिया.–(1) नियम 5 के उपबंधों के अधीन, प्रशासनिक प्राधिकरण नीलामी प्रक्रिया शुरू करने के लिए निविदा आमंत्रित करने के लिए एक नोटिस जारी करेगा जो उनकी वेबसाइट पर भी होगा और इस तरह के नोटिस में नीलामी के अधीन खनिज ब्लॉक के बारे में संक्षिप्त विशिष्टियां अंतर्विष्ट होंगी, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं,—

(क) खनिज ब्लॉक, जिसके लिए ऐसे खनिज ब्लॉक के सीमा कोण के अक्षांश और देशांतर को विनिर्दिष्ट करके नीलामी के माध्यम से उत्पादन पट्टा अनुदत्त करने का प्रस्ताव है की विशिष्टयां;

(ख) अपतट क्षेत्र (खनिज संसाधनों की विद्यमानता) नियम,2024 के उपबंधों के अनुसार गवेषण के दौरान खनिज ब्लॉक में खोजे गए सभी खनिजों के संबंध में अनुमानित खनिज संसाधन और खनिज संसाधनों की विद्यमानता की संक्षिप्त विशिष्टियां।

(2) प्रशासनिक प्राधिकरण द्वारा जारी निविदा दस्तावेज में निम्नलिखित अंतर्विष्ट होंगे,–

(क) अपतट क्षेत्र (खनिज संसाधनों की विद्यमानता) नियम, 2024 के अनुसार भूवैज्ञानिक रिपोर्ट जिसमें खनिज ब्लॉक में खोजे गए सभी खनिजों की विशिष्टियां और अनुमानित मात्रा विनिर्दिष्ट की गई हैं;

(ख) खनिज ब्लॉक की विशिष्टियां, जो ऐसे खनिज ब्लॉक के सीमा कोण के अक्षांश और देशांतर को विनिर्दिष्ट करके पहचाने जाते हैं; और

(ग) किसी भी सरकारी प्राधिकरण द्वारा अनुदत्त किए गए किसी भी अनुज्ञप्ति या पट्टे की विशिष्टियां, जिसमें पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस या पवन ऊर्जा परियोजना, या नीलामी के समय खनिज ब्लॉक में विद्यमान बंदरगाह, केबल, पाइपलाइन जैसी अवसंरचना परियोजनाएं शामिल हैं।

(3) बोली लगाने वालाओं को निविदा दस्तावेज और ऐसी रिपोर्टों का अध्ययन करने के लिए निविदा दस्तावेज में यथा विनिर्दिष्ट एक नियत अवधि अनुदत्त की जाएगी और बोली प्रक्रिया ऐसी अवधि के अवसान पर शुरू होगी।

(4) नीलामी, एक आरोही अग्नि ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक नीलामी होगी और इसमें नीलामी के प्रयास शामिल होंगे, जिसमें नीलामी का प्रत्येक प्रयास नीलामी के पहले दौर और नीलामी के दूसरे दौर से मिलकर बनेगा।

(5) नीलामी के पहले दौर में, बोली लगाने वाले निम्नलिखित प्रस्तुत करेंगे,–

(क) तकनीकी बोली जिसमें अन्य बातों के साथ, नीलामी में भाग लेने के लिए अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार पात्रता की पुष्टि करने के लिए दस्तावेजी साक्ष्य, बोली प्रतिभूति और ऐसे अन्य दस्तावेज और संदाय शामिल होंगे जो निविदा दस्तावेज में विनिर्दिष्ट किए जा सकते हैं; और

(ख) एक प्रारंभिक मूल्य प्रस्ताव जो प्रेषित खनिज के मूल्य का एक प्रतिशत होगा:

परंतु यह कि बोली प्रतिभूति अनुमानित संसाधनों के मूल्य के 0.25 प्रतिशत या दस करोड़ रुपये, जो भी कम हो, के बराबर रकम के लिए होगी, और इसे प्रतिभूति लिखत के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा:

परंतु यह और कि इस प्रकार के निक्षेपों वाले ऐसे खनिज ब्लॉक, जिनके खनिज संसाधनों की अनुमानित मात्रा का नियम 2 के उप-नियम (1) के खंड (ण) के अधीन अनुमानित संसाधनों के मूल्य की गणना हेतु निर्धारण करना संभव नहीं है लेकिन खनिज ब्लॉक की खनिज क्षमता की पहचान विद्यमान भूविज्ञान डेटा के आधार पर की गई है, के लिए संयुक्त अनुज्ञप्ति अनुदत्त करने हेतु नीलामी में बोली प्रतिभूति प्रति मानक ब्लॉक पांच लाख रुपए होगी:

परंतु यह भी कि अपतट क्षेत्र (खनिज संसाधनों की विद्यमानता) नियम, 2024 के नियम 5 के उप-नियम (2) के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा प्रस्तावित क्षेत्र को संयुक्त अनुज्ञप्ति अनुदत्त करने के लिए नीलामी के लिए रखे जाने की दशा में, ऐसे व्यक्ति के लिए उक्त क्षेत्र के लिए नीलामी में भाग लेने के लिए इस खंड में विनिर्दिष्ट रकम का केवल पचास प्रतिशत बोली प्रतिभूति प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा।

(6) केवल उन बोली लगाने वाले जो नियम 6 में विनिर्दिष्ट पात्रता की निबंधन और शर्तों के अनुसार पात्र पाए जाते हैं और जिनका आरंभिक मूल्य प्रस्ताव आरक्षित मूल्य के बराबर

या उससे अधिक है, जिन्हें "तकनीकी रूप से अर्हित बोली लगाने वाला" कहा गया है, पर नीलामी के दूसरे दौर के लिए विचार किया जाएगा।

(7) तकनीकी रूप से अर्हित बोली लगाने वालों के बीच उच्चतर आरंभिक मूल्य प्रस्ताव ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक नीलामी के दूसरे दौर के लिए न्यूनतम मूल्य होगा।

(8) तकनीकी रूप से अर्हित बोली लगाने वाले को उनके द्वारा प्रस्तुत अवरोही आरंभिक मूल्य प्रस्ताव के आधार पर श्रेणीबद्ध किया जाएगा और तकनीकी रूप से अर्हित बोली लगाने वाले जो प्रथम पचास प्रतिशत रैंक (किसी भी अंश को उच्चतर पूर्णांक में पूर्णांकित करके) रखते हैं या शीर्ष पांच तकनीकी रूप से अर्हित बोली लगाने वाले, जो भी अधिक हो, इलेक्ट्रॉनिक नीलामी के दूसरे दौर में भाग लेने के लिए अर्हित बोली लगाने वाले के रूप में अर्हता प्राप्त करेंगे:

परंतु यह कि यदि तकनीकी रूप से अर्हित बोली लगाने वालों की संख्या तीन से पांच के बीच है, तो तकनीकी रूप से अर्हित सभी बोली लगाने वालों को अर्हित बोली लगाने वालों के रूप में माना जाएगा:

परंतुक यह और भी कि दो या अधिक तकनीकी रूप से अर्हित बोली लगाने वालों द्वारा समान आरंभिक मूल्य प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाने की स्थिति में, सभी ऐसे तकनीकी रूप से अर्हित बोली लगाने वालों को अर्हित बोली लगाने वालों के निर्धारण के प्रयोजनों के लिए समान रैंक दी जाएगी और ऐसी दशा में, पूर्वोक्त पचास प्रतिशत को पहले पचास प्रतिशत के भीतर होने वाली बराबरी की सीमा तक बढ़ाया जाएगा।

दृष्टांत

यदि कार्यक्रम में तकनीकी रूप से अर्हित कुल दस बोली लगाने वाले हैं, और तकनीकी रूप से अर्हित प्रत्येक बोली लगाने वाले अलग-अलग आरंभिक मूल्य प्रस्ताव प्रस्तुत करता है, तो पहले पचास प्रतिशत रैंक रखने वाले तकनीकी रूप से अर्हित बोली लगाने वालों को अर्हित बोली लगाने वाला माना जाएगा।

यदि ऐसे तकनीकी रूप से अर्हित तीन बोली लगाने वाले एक ही आरंभिक मूल्य प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं और कुल रैंक की संख्या के पहले पचास प्रतिशत में रैंक किए जाते हैं, तो तकनीकी रूप से अर्हित सभी तीन बोली लगाने वालों को अर्हित बोली लगाने वाला माना जाएगा और अर्हित बोली लगाने वालों की कुल संख्या में दो की वृद्धि होगी।

(9) जहां तकनीकी रूप से अर्हित बोली लगाने वाला की कुल संख्या तीन या उससे अधिक है, नीलामी प्रक्रिया नीलामी के दूसरे दौर में आगे बढ़ेगी जो निम्नलिखित तरीके से की जाएगी, अर्थात्:—

(क) अर्हित बोली लगाने वाला अपना अंतिम मूल्य प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकता जो भेजे गए खनिज मूल्य का प्रतिशत होगा और न्यूनतम मूल्य से अधिक होगा:

परंतु यह कि नीलामी मंच के तकनीकी विनिर्देशों के अनुसार नीलामी के समापन तक अंतिम मूल्य प्रस्ताव को पुनरीक्षित किया जा सकता है;

(ख) यदि अर्हित बोली लगाने वालों में से कोई ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक नीलामी मंच पर अंतिम मूल्य प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं करता है, तो नीलामी प्रक्रिया बातिल कर दी जाएगी;

(ग) उच्चतर अंतिम मूल्य प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले अर्हित बोली लगाने वालों को, केंद्रीय सरकार से अनुमोदन प्राप्त होने के अधीन, नीलामी समाप्त होते ही "अधिमानित बोली लगाने वाला" घोषित किया जाएगा।

(10) जहां तकनीकी रूप से अर्हित बोली लगाने वाले की कुल संख्या तीन से कम है, तो कोई भी तकनीकी रूप से अर्हित बोली लगाने वाला अर्हित बोली लगाने वाला नहीं माना जाएगा और नीलामी का पहला प्रयास बातिल कर दिया जाएगा।

(11) नीलामी के पहले प्रयास के बातिल होने पर, प्रशासनिक प्राधिकरण निम्नलिखित पर निर्णय ले सकता है, -

(क) निबंधन और शर्तों के एक अलग सेट और आरक्षित मूल्य के साथ नीलामी प्रक्रिया को नए सिरे से शुरू करना, जैसा वह उचित और आवश्यक समझे; या

(ख) नीलामी का दूसरा प्रयास संचालित करना।

(12) यदि प्रशासनिक प्राधिकरण उपनियम (11) के खंड (ख) के अनुसार नीलामी का दूसरा प्रयास संचालित करने का विनिश्चय करता है, तो नीलामी के दूसरे प्रयास की निबंधन और शर्तें वही रहेंगी जो नीलामी के पहले बातिल प्रयास में थीं:

परंतु यह कि पहले निरस्त प्रयास में तकनीकी रूप से अर्हित बोली लगाने वाले (यदि कोई हो) द्वारा दिया गया उच्चतर आरंभिक मूल्य दूसरे प्रयास के पहले दौर में आरक्षित मूल्य होगा:

परंतु यह और कि तकनीकी रूप से अर्हित बोली लगाने वालों की संख्या तीन से कम होने की दशा में तकनीकी रूप से अर्हित बोली लगाने वालों एक होने की दशा में भी बोली दूसरे दौर में जारी रहेगी।

(13) नीलामी के दूसरे प्रयास के बातिल होने या असफल होने पर प्रशासनिक प्राधिकरण, केंद्रीय सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्, निबंधन और शर्तों के पृथक सेट तथा आरक्षित मूल्य के साथ, जैसा वह आवश्यक समझे, नीलामी प्रक्रिया को नए सिरे से प्रारंभ कर सकता है।

10. उत्पादन पट्टा अनुदत्त करना.– (1) अधिमानित बोली लगाने वाला अधिमानित बोली लगाने वाले के रूप में घोषित किए जाने के पश्चात् पंद्रह दिनों के भीतर नियम 11 के अनुसार अग्रिम संदाय की पहली किस्त प्रस्तुत करेगाः

परंतुक यह कि प्रशासनिक प्राधिकरण कारणों को लेखबद्ध करके अगले पंद्रह दिनों तक पंद्रह दिनों की अवधि बढ़ा सकता है।

(2) अधिमानित बोली लगाने वाले द्वारा उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट अवधि या विस्तारित अवधि के भीतर अग्रिम रकम की पहली किस्त प्रस्तुत करने में विफल रहने की दशा में है, प्रशासनिक प्राधिकरण निम्नलिखित कार्य करेगा,–

(क) अधिमानित बोली लगाने वाले की बोली प्रतिभूति जब्त कर लेगा; और

(ख) उस बोली लगाने वाले को प्रस्ताव देगा जिसने उच्चतर अंतिम मूल्य प्रस्ताव को पूरा करने के लिए नीलामी के दूसरे दौर में दूसरा सबसे अधिक मूल्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था और यदि उक्त बोली लगाने वाला लिखित रूप में उक्त प्रस्ताव से सहमत हो जाता है और प्रस्ताव प्राप्त होने के पंद्रह दिनों के भीतर अग्रिम रकम की पहली किस्त जमा कर देता है, तो प्रशासनिक प्राधिकरण, केंद्रीय सरकार से अनुमोदन प्राप्त होने के अधीन, उक्त बोली लगाने वाले को अधिमानित बोली लगाने वाला घोषित करेगा और उप-नियम (3) के अनुसार आशय पत्र जारी करेगा:

परंतुक कि प्रशासनिक प्राधिकरण, कारणों को लेखबद्ध करके, इस खंड में विनिर्दिष्ट पंद्रह दिनों की अवधि को और पंद्रह दिनों तक बढ़ा सकता है।

(3) अग्रिम संदाय की पहली किस्त प्राप्त होने पर, प्रशासनिक प्राधिकारी अग्रिम संदाय की पहली किस्त प्राप्त होने के पंद्रह दिनों के भीतर अधिमानित बोली लगाने वाले को आशय पत्र जारी करेगा।

(4) अधिमानित बोली लगाने वाले को "सफल बोली लगाने वाला" माना जाएगा, बशर्ते कि,–

(क) पात्रता के सभी निबंधनों और शर्तों का अनुपालन करना जारी रखना;

(ख) अग्रिम संदाय की दूसरी किस्त का संदाय करना;

(ग) नियम 12 में यथा विनिर्दिष्ट संपादन प्रतिभूति प्रस्तुत करना;

(घ) उत्पादन योजना के संबंध में अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों में विनिर्दिष्ट शर्तों का समाधान करना; और

(ङ) ऐसी अन्य शर्तों का समाधान करना जो केंद्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से प्रशासनिक प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए।

(5) सफल बोली लगाने वाला उत्पादन प्रचालन शुरू करने के लिए लागू विधियों के अधीन यथा अपेक्षित सभी सहमति, अनुमोदन, परमिट, अनापत्ति आदि अभिप्राप्त करने के पश्चात केंद्रीय सरकार के साथ अपतट खनिज विकास और उत्पादन करार पर हस्ताक्षर करेगा।

(6) सफल बोली लगाने वाला अपतट खनिज विकास और उत्पादन करार के निष्पादन के पश्चात् अग्रिम संदाय की तीसरी किस्त का संदाय करेगा और ऐसे संदाय के पश्चात् केंन्द्रीय सरकार सफल बोली लगाने वाला को उत्पादन पट्टा प्रदान करेगी।

(7) उत्पादन पट्टा विलेख उप-नियम (6) में विनिर्दिष्ट शर्तों के पूरा होने की तारीख से तीस दिनों के भीतर केंद्रीय सरकार द्वारा निष्पादित किया जाएगा और यह अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन होगा:

परंतु यह कि आशय पत्र की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के अवसान पर कोई उत्पादन पट्टा विलेख निष्पादित नहीं किया जाएगा, और आशय पत्र को अविधिमान्य कर दिया जाएगा, जिससे नीलामी की पूरी प्रक्रिया बातिल हो जाएगी:

परंतु यह और कि यदि विलंब के कारण अधिमानित बोली लगाने वाले के नियंत्रण से परे थे, तो प्रशासनिक प्राधिकरण केंद्रीय सरकार के अनुमोदन से उत्पादन पट्टा विलेख के निष्पादन के लिए दो वर्ष की और अवधि अनुज्ञात कर सकता है।

(8) आशय पत्र धारक को उपनियम (7) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उत्पादन पट्टा विलेख निष्पादित करने के लिए सभी अपेक्षाओं का अनुपालन करना होगा, ऐसा न करने पर, आशय पत्र निरस्त कर दिया जाएगा और यथा स्थिति बोली प्रतिभूति या संपादन प्रतिभूति, बोली लगाने वाले, तथा अग्रिम संदाय की कोई भी किस्त जब्त कर ली जाएगी, तथा अधिमानित बोली लगाने वाले या सफल बोली लगाने वाले को इन नियमों के उपबंधों के अधीन आयोजित भविष्य में की जाने वाली खनिज ब्लॉकों की नीलामी में भाग लेने से

IndiaCode

केंद्रीय सरकार द्वारा ऐसे निषेध की तारीख से तीन वर्ष के लिए रोक दिया जा सकता है।

(9) उत्पादन पट्टा, नीलामी से पूर्व गवेषण के अनुसरण में खनिज ब्लॉक में पाए गए खनिजों के लिए होगा:

परंतु कि जहां, नीलामी के पश्चात्, एक या अधिक नए खनिजों की खोज की जाती है, तो उत्पादन पट्टा धारक ऐसे नए खनिज को उत्पादन पट्टा विलेख में शामिल करने के लिए अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों का पालन करेगा।

(10) तारीख पर सम्यक रूप से निष्पादित उत्पादन पट्टा विलेख रजिस्ट्रीकृत किया जाता है, वह उत्पादन पट्टा प्रारंभ होने की तिथि होगी।

11. उत्पादन पट्टे के लिए अग्रिम संदाय.–(1) (i) अनुमानित संसाधनों के मूल्य का 0.25 प्रतिशत; (ii) पचास करोड़ रुपये के बराबर रकम, न्यूनतम रकम अग्रिम संदाय होगा।

(2) अग्रिम संदाय केंद्रीय सरकार को निविदा दस्तावेज के विनिर्दिष्ट अनुसार दस प्रतिशत; दस प्रतिशत; और अस्सी प्रतिशत की तीन किस्तों में संदेय होगा और निविदा दस्तावेज में यथा विनिर्दिष्ट खनिज का उत्पादन शुरू होने पर नियम 8 के उप-नियम (3) के अधीन संदाय की जाने वाली रकम के लिए जल्द से जल्द पूर्ण रूप से समायोजित किया जाएगा।

12. उत्पादन पट्टे के लिए संपादन प्रतिभूति.– (1) अधिमानित बोली लगाने वाला निम्न में से जो कम हो, प्रतिभूति लिखत के माध्यम से संपादन प्रतिभूति अनुदत्त करेगा: (i) अनुमानित संसाधनों के मूल्य का 0.50 प्रतिशत; (ii) एक सौ करोड़ रुपये। ऐसी संपादन प्रतिभूति को प्रत्येक पांच वर्ष में समायोजित किया जाएगा ताकि यह अपेक्षित रकम (अर्थात् अनुमानित संसाधनों के पुन:निर्धारित मूल्य का यथास्थिति 0.50 प्रतिशत या एक सौ करोड़ रुपए) के अनुरूप बनी रहे, जिसमें किसी भी नए खोजे गए खनिज का मूल्य शामिल है, जिसे इसकी खोज पर उत्पादन पट्टा विलेख में शामिल किया जा सकता है:

परंतुक कि पुन:निर्धारण पर समायोजित संपादन प्रतिभूति, हमेशा प्रति मानक ब्लॉक एक करोड़ रुपए से कम नहीं होगी।

(2) कार्य-निष्पादन प्रतिभूति को निम्नलिखित के उपबंधों के अनुसार लागू किया जा सकता है,–

(i) अपतट खनिज विकास और उत्पादन करार; और

(ii) उत्पादन पट्टा विलेख।

13. उत्पादन पट्टे के अधीन संदाय.–(1) पट्टेदार केन्द्रीय सरकार को अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों में यथा विनिर्दिष्ट धारा 16 के अनुसार रॉयल्टी और धारा 17 के अनुसार नियत किराये का संदाय करेगा।

(2) पट्टेदार केन्द्रीय सरकार को नियम 8 के अधीन उद्धृत लागू रकम का मासिक आधार पर संदाय करेगा।

(3) पट्टेदार अधिनियम के अधीन अपेक्षित रकम का अंशदान,—

(क) अपतट क्षेत्र खनिज न्यास के अभिहित खाते में करेगा; और

(ख) धारा 18 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय समुद्रतल प्राधिकरण के लिए अंशदान हेतु केन्द्रीय सरकार के अभिहित खाते में करेगा।

(4) पट्टेदार संबंधित प्राधिकारियों को तत्समय प्रवृत विधि के अधीन अपेक्षित ऐसी अन्य रकम का भी संदाय करेगा।

14. ब्याज का संदाय.—यथास्थिति, पट्टेदार या अधिमानित बोली लगाने वाला या सफल बोली लगाने वाला, इन नियमों के अधीन केन्द्रीय सरकार को संदेय किसी भी संदाय पर बारह प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज का संदाय करेगा, जिसका संदाय उसकी देय तारीख से परे विलंबित है।

15. समयावधि.- नियम 10 से 14 के अनुपालन की समयावधि निविदा दस्तावेज के विनिर्देशानुसार होगी।

अध्याय 3

संयुक्त अनुज्ञप्ति अनुदत्त करना

16. संयुक्त अनुज्ञप्ति की नीलामी के लिए पूर्वापेक्षाएँ.–(1) प्रशासनिक प्राधिकरण धारा 12 और इस अध्याय के अनुसार किसी क्षेत्र के संबंध में संयुक्त अनुज्ञप्ति अनुदत्त करने हेतु नीलामी प्रक्रिया आरंभ कर सकता है, इस शर्त के अधीन रहते हुए यह कि अपतट क्षेत्र (खनिज संसाधनों की विद्यमानता) नियम, 2024 के नियम 5 की अपेक्षाओं की अनुपालना की गई हो।

(2) प्रशासनिक प्राधिकरण नीलामी के संबंध में निविदा आमंत्रण सूचना जारी करने से पहले और केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से, ऐसे खनिज ब्लॉक के सीमा कोण के अक्षांश और देशांतर को विनिर्दिष्ट करके ऐसे खनिज ब्लॉक की पहचान करेगा जिसके लिए नीलामी के माध्यम से संयुक्त अनुज्ञप्ति अनुदत्त करने का प्रस्ताव है।

IndiaCode

17. संयुक्त अनुज्ञप्ति के लिए नीलामी.–(1) नियम 6 से 9 में यथा विनिर्दिष्ट पात्रता शर्तें और नीलामी प्रक्रिया, संयुक्त अनुज्ञप्ति अनुदत्त करने के लिए नीलामी संचालित करने हेतु निम्नलिखित के अधीन लागू होगी, अर्थात्:-

(क) प्रशासनिक प्राधिकरण नियम 16 की अनुपालना के अधीन, नीलामी प्रक्रिया शुरू करने के लिए अपनी वेबसाइट पर निविदा आमंत्रित करने सहित नोटिस जारी करेगा और ऐसी सूचना में नीलामी के अधीन क्षेत्र के बारे में संक्षिप्त विशिष्टियां शामिल होंगी, जिसमें शामिल हैं,-

(i) खनिज ब्लॉक अनुदत्त जिसके लिए नीलामी के माध्यम से ऐसे खनिज ब्लॉक के सीमा कोण के अक्षांश और देशांतर को विनिर्दिष्ट करके संयुक्त अनुज्ञप्ति अनुदत्त करने का प्रस्ताव है;

(ii) अपतट क्षेत्र (खनिज संसाधनों की विद्यमानता) नियम, 2024 के अनुसार गवेषण के दौरान खनिज ब्लॉक में खनिज संसाधनों की विद्यमानता के बारे में संक्षिप्त विशिष्टियां अनुमानित खनिज संसाधन; और

(ख) प्रशासनिक प्राधिकरण द्वारा जारी निविदा दस्तावेज में निम्नलिखित को विनिर्दिष्ट करते हुए भूवैज्ञानिक रिपोर्ट अंतर्विष्ट होगी:

(i) अपतट क्षेत्र (खनिज संसाधनों की विद्यमानता) नियम, 2024 के अनुसार गवेषण के दौरान क्षेत्र में खोजे गए सभी खनिजों की विशिष्टियां और अनुमानित मात्रा;

(ii) परिलक्षित क्षेत्र का विवरण; और

(iii) किसी सरकारी प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त किसी अनुज्ञप्ति या पट्टे की विशिष्टियां, जिसमें पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस या पवन ऊर्जा परियोजना, या नीलामी के समय खनिज ब्लॉक में विद्यमान बंदरगाह, केबल, पाइपलाइन जैसी कोई बुनियादी ढांचा परियोजना शामिल है।

18. संयुक्त अनुज्ञप्ति अनुदत्त करना.-(1) नीलामी प्रक्रिया पूरी होने पर, अधिमानित बोली लगाने वाला अधिमानित बोली लगाने वाला घोषित होने के पश्चात् पंद्रह दिनों के भीतर नियम 19 के उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट तरीके से संपादन प्रतिभूति प्रस्तुत करेगा और ऐसी संपादन प्रतिभूति प्राप्त होने पर, प्रशासनिक प्राधिकरण संपादन प्रतिभूति प्राप्त होने के पंद्रह दिनों के भीतर अधिमानित बोली लगाने वाला को आशय पत्र जारी करेगाः

परंतुक यह कि प्रशासनिक प्राधिकारी कारणों को लेखबद्ध करके संपादन प्रतिभूति प्रस्तुत करने के लिए पंद्रह दिनों की अवधि को और पंद्रह दिनों तक बढ़ा सकता है।

(2) यदि अधिमानित बोली लगाने वाला उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट अवधि या विस्तारित अवधि के भीतर संपादन प्रतिभूति प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो प्रशासनिक प्राधिकरण,-

(क) अधिमानित बोली लगाने वाले की बोली प्रतिभूति जब्त कर लेगा; और

(ख) बोली लगाने वाला, जिसने उच्चतम अंतिम मूल्य प्रस्ताव को पूरा करने के लिए नीलामी के दूसरे दौर में दूसरा उच्चतम मूल्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, को प्रस्ताव देगा और यदि उक्त बोली लगाने वाला लिखित रूप में उक्त प्रस्ताव से सहमत है और प्रस्ताव प्राप्त होने के पंद्रह दिनों के भीतर संपादन प्रतिभूति जमा कर देता है, तो प्रशासनिक प्राधिकरण, केंद्रीय सरकार से अनुमोदन प्राप्त करने पर उक्त बोली लगाने वाले को अधिमानित बोली लगाने वाला घोषित करेगा और उप-नियम (1) के अनुसार आशय पत्र जारी करेगा:

परंतुक कि प्रशासनिक प्राधिकरण, कारणों को लेखबद्ध करके, पंद्रह दिनों की अवधि को और पंद्रह दिनों तक बढ़ा सकता है।

(3) आशय पत्र प्राप्त होने पर अधिमानित बोली लगाने वाले को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने पर "सफल बोली लगाने वाला" माना जाएगा, अर्थात्:-

(क) पात्रता के सभी निबंधनों और शर्तों का अनुपालन;

(ख) गवेषण संक्रियाओं के प्रारंभ के लिए लागू विधियों के अधीन यथा अपेक्षित सभी सहमति, अनुमोदन, परमिट, अनापत्ति आदि प्राप्त करना; और

(ग) गवेषण योजना प्रस्तुत करना।

(4) उप-नियम (3) में विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा करने पर, केन्द्रीय सरकार सफल बोली लगाने वाले को संयुक्त अनुज्ञप्ति अनुदत्त करेगी और ये संयुक्त अनुज्ञप्ति अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन होगी, जैसा कि संयुक्त अनुज्ञप्ति और उत्पादन पट्टे पर लागू होती है: परंतुक यह कि आशय पत्र की तारीख से एक वर्ष की अवधि की समाप्ति पर, यदि कोई गवेषण अनुज्ञप्ति/संयुक्त अनुज्ञप्ति विलेख निष्पादित नहीं किया जाता है, तो आशय पत्र अविधिमान्य हो जाएगा, जिससे नीलामी की पूरी प्रक्रिया बातिल हो जाएगी:

परंतुक कि यदि विलम्ब के कारण अधिमानित बोली लगाने वाले के नियंत्रण से परे थे, तो प्रशासनिक प्राधिकरण गवेषण अनुज्ञप्ति संयुक्त अनुज्ञप्ति विलेख के निष्पादन के लिए छह मास की और अवधि की अनुमति दे सकता है।

(5) किसी संयुक्त अनुज्ञप्ति का धारक, खनिज संसाधनों का अस्तित्व सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त अनुज्ञप्ति के अधीन क्षेत्र में गवेषण संक्रियाओं का करेगा तथा गवेषण संक्रियाओं का लागू अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार आवधिक रिपोर्ट प्रस्तुत

करेगा तथा संयुक्त अनुज्ञप्ति के अधीन क्षेत्र में गवेषण संक्रियाओं से संबंधित सभी रिपोर्ट, अध्ययन और अन्य दस्तावेज़ भारतीय खान ब्यूरो और प्रशासनिक प्राधिकरण को प्रस्तुत किए जाएंगे।

(6) यदि संयुक्त अनुज्ञप्ति धारक,-

(क) धारा 12 की उपधारा (3) के अनुसार गवेषण संक्रियाएं पूरा करने में विफल रहता है या अपतट क्षेत्र (खनिज संसाधनों की विद्यमानता) नियम, 2024 के अनुसार खनिज संसाधनों की विद्यमानता को स्थापित करने में विफल रहता है, या संयुक्त अनुज्ञप्ति की निबंधन और शर्तों या अधिनियम की अपेक्षाओं और उसके अधीन विहित नियमों का पालन करने में विफल रहता है, तो ऐसा धारक उत्पादन पट्टा प्राप्त करने का पात्र नहीं होगा और संयुक्त अनुज्ञप्ति को समाप्त कर दिया जाएगा;

(ख) गवेषण संक्रियाएं पूरा करता है और गवेषण संक्रियाओं के परिणाम को भूवैज्ञानिक रिपोर्ट के रूप में भारतीय खान ब्यूरो और प्रशासनिक प्राधिकरण को प्रस्तुत करता है, जिसके परिणामस्वरूप अपतट क्षेत्र (खनिज संसाधनों की विद्यमानता) नियम, 2024 के अनुरूप खनिज संसाधनों की विद्यमानता का निर्धारण होता है; उत्पादन पट्टा अनुदत्त करने के लिए अपेक्षित क्षेत्र को विनिर्दिष्ट करता है और उत्पादन पट्टा अनुदत्त करने के लिए अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार प्रशासनिक प्राधिकरण को नियम 11 में यथा विनिर्दिष्ट अग्रिम संदाय की पहली किस्त के साथ आवेदन करता है;

(7) अपतट क्षेत्र (खनिज संसाधनों की विद्यमानता) नियम, 2024 के अनुसार खनिज संसाधनों की विद्यमानता का समाधान होने पर और अनुज्ञप्ति धारक द्वारा संयुक्त अनुज्ञप्ति और धारा 12 की उपधारा (6) की शर्तों सहित अधिनियम की शर्तों का अनुपालन किए जाने पर, प्रशासनिक प्राधिकरण अनुज्ञप्तिधारी को उत्पादन पट्टा अनुदत्त करने के लिए केन्द्रीय सरकार को सिफारिश करेगा। केन्द्रीय सरकार का अनुमोदन प्राप्त होने पर, प्रशासनिक प्राधिकरण उत्पादन पट्टे के लिए आशय पत्र जारी करेगा:

परंतुक यह कि संयुक्त अनुज्ञप्ति धारक द्वारा अधिनियम के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार कोई अतिरिक्त क्षेत्र छोड़ दिया जाएगा:

परंतुक और कि अपतट क्षेत्र (खनिज संसाधनों की विद्यमानता) नियम, 2024 के अनुसार तैयार की गई भूवैज्ञानिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के पश्चात्, संयुक्त अनुज्ञप्ति धारक अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार संपूर्ण क्षेत्र को छोड़ सकता है और ऐसे मामले में

प्रशासनिक प्राधिकरण यह समाधान होने के पश्चात् कि भूवैज्ञानिक रिपोर्ट अपतट क्षेत्र (खनिज संसाधनों की विद्यमानता) नियम, 2024 के अनुरूप तैयार की गई है, संपादन प्रतिभूति वापस कर देगा।

(8) अपतट खनिज विकास और उत्पादन समझौता केन्द्रीय सरकार और संयुक्त अनुज्ञप्ति धारक के बीच निष्पादित किया जाएगा यदि संयुक्त अनुज्ञप्ति धारक-

(क) पात्रता की निबंधन और शर्तों का अनुपालन करना जारी रखता है;

(ख) अग्रिम संदाय का दस प्रतिशत के रूप में दूसरी किस्त का संदाय करता है;

(ग) नियम 19 के उप-नियम (2) में यथा विनिर्दिष्ट वर्धित संपादन प्रतिभूति प्रस्तुत करता है;

(घ) उत्पादन योजना के संबंध में अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों में विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा करता है;

(ङ) उत्पादन संक्रियाओं को शुरू करने के लिए लागू कानूनों के अधीन आवश्यक सभी सहमतियां, अनुमोदन, परमिट, अनापत्ति आदि प्राप्त करता है; और

(च) ऐसी अन्य शर्तों को पूरा करता है जो प्रशासनिक प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं।

(9) संयुक्त अनुज्ञप्ति धारक अपतट खनिज विकास और उत्पादन करार के निष्पादन के पश्चात् अग्रिम संदाय के अस्सी प्रतिशत के बराबर तीसरी किस्त का संदाय करेगा और ऐसे संदाय के पश्चात्, केन्द्रीय सरकार तीसरी किस्त के संदाय के तीस दिन के भीतर संयुक्त अनुज्ञप्ति धारक के साथ उत्पादन पट्टा विलेख निष्पादित करेगी:

परंतुक यह कि आशय पत्र (उपर्युक्त नियम 18 के उप-नियम (7) के अधीन अनुदत्त) की तारीख से तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति पर कोई उत्पादन पट्टा विलेख निष्पादित नहीं किया जाएगा, और आशय पत्र अविधिमान्य हो जाएगा:

परंतुक और कि, यदि विलंब के कारण अनुज्ञप्तिधारक के नियंत्रण से परे थे तो प्रशासनिक प्राधिकरण केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से उत्पादन पट्टा विलेख के निष्पादन के लिए दो वर्ष की अतिरिक्त अवधि अनुज्ञात कर सकता है।

(10) यह उत्पादन पट्टा अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन होगा।

(11) उत्पादन पट्टा नीलामी से पहले गवेषण के अनुसरण में संयुक्त अनुज्ञप्ति द्वारा कवर किए गए क्षेत्र में पाए जाने वाले खनिजों के लिए होगा:

परंतुक यह कि जहां नीलामी के बाद एक या एक से अधिक नए खनिजों की खोज की जाती है, तो उत्पादन पट्टा धारक ऐसे नए खनिज को उत्पादन पट्टा विलेख में शामिल करने के लिए अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों का पालन करेगा।

(12) जिस तारीख को सम्यक रूप से निष्पादित उत्पादन पट्टा विलेख रजिस्ट्रीकृत किया जाता है, वह उत्पादन पट्टे के प्रारंभ होने की तारीख होगी।

19. संयुक्त अनुज्ञप्ति हेतु संपादन प्रतिभूति.– (1) निम्न में से कम रकम: (i) अनुमानित संसाधनों के मूल्य का 0.25 प्रतिशत; (ii) पचास करोड़ रुपए, यथास्थिति अधिमानित बोली लगाने वाला या अनुज्ञप्ति धारक द्वारा, संपादन, संयुक्त अनुज्ञप्ति जारी करने से पहले संपादन प्रतिभूति के रूप में संदेय या अनुदत्त किए जाएंगे:

परंतुक यह कि उस खनिज ब्लॉक के लिए जिसे इस प्रकार के निक्षेप वाले खनिज ब्लॉक के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है, जिसके खनिज संसाधनों की अनुमानित मात्रा का नियम 2 के उप-नियम (1) के खंड (ण) के अधीन अनुमानित संसाधनों के मूल्य की गणना करने के लिए मूल्यांकन करना संभव नहीं है, किंतु विद्यमान भूविज्ञान डाटा के आधार पर ब्लॉक की खनिज संभाव्यता की पहचान की गई है, संपादन प्रतिभूति एक करोड़ पचास लाख रुपए होगी।

(2) उत्पादन पट्टा जारी करने से पहले संपादन प्रतिभूति की रकम को: (i) धारा 12 की उप-धारा (3) और (5) के उपबंधों के अनुसार गवेषण संक्रियाओं के पूरा होने के पश्चात् संयुक्त अनुज्ञप्ति धारक द्वारा स्थापित अनुमानित संसाधनों के मूल्य का 0.50 प्रतिशत, जिसके परिणामस्वरूप अपतट क्षेत्र (खनिज संसाधनों की विद्यमानता) नियम, 2024 के अनुरूप खनिज संसाधनों की विद्यमानता का अवधारण होता है (ii) एक सौ करोड़ रुपए, में से निम्नतर रकम तक पुनरीक्षति किया जाएगा।

(3) उप-नियम (2) के अधीन विनिर्दिष्ट संपादन प्रतिभूति को प्रत्येक पांच वर्ष में समायोजित किया जाएगा ताकि यह निम्न में से निम्नतर रकम के अनुरूप बनी रहे: यथास्थिति (i) अनुमानित संसाधनों के पुनः निर्धारित मूल्य का 0.50 प्रतिशत; (ii) एक सौ करोड़ रुपए हो:

परंतुक यह कि समायोजित संपादन प्रतिभूति एक करोड़ रुपए प्रति मानक ब्लॉक से कम नहीं होगी।

(4) प्रतिभूति लिखत के माध्यम से उपबंधित संपादन प्रतिभूति निम्नलिखित उपबंधों के अनुसार लागू की जा सकती है, -

(i) संयुक्त अनुज्ञप्ति का गवेषण अनुज्ञप्ति विलेख; या

(ii) अपतट खनिज विकास और उत्पादन करार; या

(iii) उत्पादन पट्टा विलेख:

परंतुक यह कि प्रशासनिक प्राधिकरण का यह समाधान होने पर कि संयुक्त अनुज्ञप्ति धारक ने धारा 12 की उपधारा (3) और (5) के अनुसार गवेषण संक्रियाएं पूरी कर ली हैं, लेकिन अपतट क्षेत्र (खनिज संसाधनों की विद्यमानता) नियम, 2024 के अनुसार सभी संभव प्रयास करने के पश्चात् भी खनिज संसाधनों की विद्यमानता को स्थापित करने में असमर्थ है, संयुक्त अनुज्ञप्ति धारक द्वारा उपबंधित की गई संपादन प्रतिभूति वापस कर देगा:

पंरतुक यह और कि यदि संयुक्त अनुज्ञप्ति धारक धारा 12 की उपधारा (3) और (5) के अनुसार गवेषण संक्रियाएं पूरे करने में विफल रहता है, तो उसके द्वारा उपबंधित संपादन प्रतिभूति जब्त कर ली जाएगी।

IndiaCode

अध्याय 4

प्रकीर्ण

20. स्पष्ट अशुद्धियों को सुधारने की शक्ति.- इन नियमों के अधीन केन्द्रीय सरकार या किसी प्राधिकरण या अधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश में कोई लिपिकीय या अंकगणितीय अशुद्धि और आकस्मिक चूक या लोप के कारण उसमें उत्पन्न कोई अशुद्धि, केन्द्रीय सरकार, संबंधित यथास्थिति प्राधिकरण या अधिकारी, द्वारा सुधारी जा सकेगी:

परंतुक कि किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला कोई सुधार आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न प्रदान किया गया हो।

21. खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की पहली अनुसूची के भाग ख में विनिर्दिष्ट खनिजों से संबंधित विशेष उपबंध–(1) इन नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी-

(क) यदि किसी संयुक्त अनुज्ञप्ति या उत्पादन पट्टे का धारक खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की पहली अनुसूची के भाग ख में विनिर्दिष्ट किसी खनिज की खोज करता है, जिसका ग्रेड ऐसे सीमा मूल्य के बराबर या उससे अधिक है, जिसे केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसी अनुज्ञप्ति या

पट्टे के अधीन अनुदत्त क्षेत्र में विनिर्दिष्ट करे, तो ऐसे खनिज की खोज की रिपोर्ट, निदेशक, परमाणु खनिज गवेषण और अनुसंधान निदेशालय, हैदराबाद को ऐसे खनिज की खोज की तारीख से साठ दिन के भीतर दी जाएगी;

(ख) अनुज्ञप्तिधारक या पट्टेदार खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की पहली अनुसूची के भाग ख में विनिर्दिष्ट किसी ऐसे खनिज को हासिल या उसका निपटान नहीं करेगा, जिसका ग्रेड ऐसी सीमा मूल्य के बराबर या उससे अधिक हो, जिसे केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे;

(ग) खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की पहली अनुसूची के भाग ख में विनिर्दिष्ट किसी ऐसे खनिज की मात्रा, जिसका ग्रेड ऐसी सीमा मूल्य के बराबर या उससे अधिक हो, जिसे केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, ऐसे गवेषण या उत्पादन कार्यों के दौरान आकस्मिक रूप से प्राप्त की गई मात्रा को पुथक रूप से एकत्र और स्टैक किया जाएगा और इस आशय की एक रिपोर्ट अनुज्ञप्ति धारक या पट्टेदार द्वारा आगे की कार्रवाई के लिए निदेशक, परमाणु खनिज गवेषण और अनुसंधान निदेशालय, हैदराबाद को हर मास भेजी जाएगी, जैसा कि परमाणु खनिज गवेषण और अनुसंधान निदेशालय द्वारा निदेशित किया जाए।

(2) उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट अनुज्ञप्ति धारक या पट्टेदार, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की पहली अनुसूची के भाग ख में विनिर्दिष्ट किसी भी खनिज, जो कि केंद्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किए गए सीमा मूल्य के बराबर या उससे अधिक ग्रेड का हो, की खोज की तारीख से साठ दिनों के भीतर परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 (1962 का 33) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन ऐसे खनिजों को रख-रखाव हेतु अनुज्ञप्ति देने के लिए प्रशासनिक प्राधिकरण के माध्यम से सचिव, परमाणु ऊर्जा विभाग, मुंबई को आवेदन करेगा और परमाणु ऊर्जा विभाग इस संबंध में अनुज्ञप्ति जारी करने के बारे में प्रशासनिक प्राधिकरण को सूचित करेगा।

22. गवेषण बाध्यता.—उत्पादन पट्टे का धारक विस्तृत गवेषण (जी1 स्तर गवेषण) पूरा करेगा और उत्पादन पट्टे के अधीन संपूर्ण क्षेत्र पर, ऐसे उत्पादन पट्टे के प्रारंभ होने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के भीतर, अपतट क्षेत्र (खनिज संसाधनों की विद्यमानता) नियम, 2024 के भाग IV और V के अनुरूप एक विस्तृत व्यवहार्यता अध्ययन रिपोर्ट तैयार करेगा।

23. जब किसी अपेक्षा की पूर्ति का दिन सार्वजनिक अवकाश हो.– जब इन नियमों के अधीन किसी अपेक्षा की पूर्ति का दिन सार्वजनिक अवकाश के दिन पड़ रहा हो, तो पूर्ति का दिन अगले उत्तरवर्ती कार्य दिवस को पूर्ति का दिन माना जाएगा।

स्पष्टीकरण.- *"सार्वजनिक अवकाश" अभिव्यक्ति के अधीन शनिवार, रविवार और केन्द्रीय सरकार द्वारा सार्वजनिक अवकाश के रूप में घोषित किया गया कोई अन्य दिन शामिल है।*

अनुसूची 1

पात्रता की निबंधन और शर्तें

[नियम 6 देखिए]

1. अनुमानित संसाधनों के मूल्य के आधार पर उत्पादन पट्टे की नीलामी के लिए निम्नलिखित शुद्धमालयित अपेक्षाएं लागू होंगी, अर्थात्:–

(क) यदि अनुमानित संसाधनों का मूल्य एक हजार करोड़ रुपये के बराबर या उससे अधिक है, तो आवेदक, जिसमें एक व्यष्टिक भी शामिल है, के पास अनुमानित संसाधनों के मूल्य की 2 प्रतिशत से अधिक निवल संपत्ति होनी चाहिए।

(ख) यदि अनुमानित संसाधनों का मूल्य एक हजार करोड़ रुपये से कम किंतु एक सौ करोड़ रुपये से अधिक है, तो आवेदक, जिसमें एक व्यष्टिक भी शामिल है, के पास अनुमानित संसाधनों के मूल्य की 1 प्रतिशत से अधिक शुद्ध मालयित होनी चाहिए।

(ग) यदि अनुमानित संसाधनों का मूल्य एक सौ करोड़ रुपये से कम या उसके बराबर है, तो आवेदक, जिसमें एक व्यष्टिक भी शामिल है, के पास अनुमानित संसाधनों के मूल्य की 0.5 प्रतिशत से अधिक शुद्ध मालयित होनी चाहिए:

परंतुक कि शुद्ध मालयित अपेक्षा एक सौ करोड़ रुपये से अधिक नहीं होगी।

2. संयुक्त अनुज्ञप्ति की नीलामी के दशा में, आवेदक के पास अनुमानित संसाधनों के मूल्य की 1 प्रतिशत से अधिक शुद्ध मालयित होनी चाहिए और जहां अनुमानित संसाधनों का मूल्य एक सौ करोड़ रुपये के बराबर या उससे कम है, आवेदक के पास अनुमानित संसाधनों के मूल्य की 0.5 प्रतिशत से अधिक शुद्ध मालयित होनी चाहिए:

परंतुक यह कि शुद्ध मालयित की अपेक्षा पचास करोड़ रुपये से अधिक नहीं होगी:

परंतु यह कि ऐसे खनिज वाले खनिज ब्लॉक के लिए, जिनके खनिज संसाधनों की अनुमानित मात्रा का नियम 2 के उप-नियम (1) के खंड (ण) के अधीन अनुमानित संसाधनों के मूल्य की गणना करने के लिए निर्धारण, करना संभव नहीं है, किंतु विद्यमान भूविज्ञान डाटा के आधार पर ब्लॉक की खनिज क्षमता की पहचान की गई है, आवेदक के पास पच्चीस करोड़ रुपये से अधिक या उसके बराबर की शुद्ध मालयित होगी।

स्पष्टीकरण.–

(1) यदि आवेदक भारत में निगमित किसी अन्य कंपनी की समनुषंगी कंपनी है, तो ऐसी नियंत्री कंपनी की शुद्ध मालयित पर भी विचार किया जा सकता है:

परंतुक कि, ऐसी दशा में, आवेदक तब तक ऐसी नियंत्री कंपनी का समनुषंगी बना रहेगा जब तक कि आवेदक उपर्युक्त शुद्ध मालयित सीमा को प्राप्त नहीं कर लेता।

(2) किसी कंपनी दशा में, शुद्ध मालयित, निविदा आमंत्रण सूचना जारी करने की तारीख से ठीक पहले समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लेखापरीक्षित तुलना पत्र के अनुसार समादत्त शेयर पूंजी और अरक्षिती का योग होगा।

(3) यदि निविदा आमंत्रण सूचना किसी वर्ष 1 अप्रैल से 30 सितंबर (दोनों दिन सम्मिलित) के बीच जारी की जाती है तो, निविदा आमंत्रण सूचना जारी करने की तारीख से ठीक पहले के वित्तीय वर्ष के लेखापरीक्षित तुलना पत्र बोली लगाने वाले द्वारा प्रस्तुत की जा सकती है, यदि पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष का लेखापरीक्षित तुलना पत्र उपलब्ध न हो।

(4) किसी व्यष्टिक की दशा में, शुद्ध मालयित आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख पर अंत नकद अतिशेष होगा, और ऐसी रकम में, अनुसूचित बैंक या डाकघर में बचत बैंक खाते की रकम, अनुसूचित बैंकों, डाकघर, सूचीबद्ध कंपनियों या सरकारी संगठन या राज्य और केंद्रीय सरकार के पब्लिक सेक्टर उपक्रमों में निशुल्क और भार रहित सावधि जमा, किसान विकास पत्र, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र, सूचीबद्ध कंपनियों के बंधपत्र और शेयर, सूचीबद्ध पारस्परिक निधि, यूनिट लिंक्ड बीमा योजना, सार्वजनिक भविष्य निधि, जीवन बीमा पॉलिसियों का समर्पण मूल्य और आवेदक के नाम पर अविलंगमित स्थावर संपत्ति शामिल हो सकती है।

अनुसूची 2

उत्पादन पट्टे के लिए संपादन प्रतिभूति फॉर्मेट

[नियम 12 देखिए]

[बैंक की संदर्भ संख्या] [तारीख]

सेवा में

भारत के राष्ट्रपति

[पता]

जबकि

क. [अधिमानित बोली लगाने वाले का नाम] भारत में कंपनी अधिनियम, [2013] के अधीन निगमित है, जिसकी कॉर्पोरेट पहचान संख्या [अधिमानित बोली लगाने वाला का सीआईएन] है, जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय [रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता], भारत में है और कारबार का मुख्य स्थान [रजिस्ट्रीकृत कार्यालय से भिन्न होने पर कारबार के मुख्य स्थान का पता] पर है या [व्यक्ति का नाम] जो भारत का नागरिक है, जिसके पास आयकर स्थायी खाता संख्या [संख्या] है, जो [पता] पर रहता है या [साझेदारी फर्म/व्यष्टिकों का संगम], जिसके सभी सदस्य भारतीय नागरिक हैं और भारत के निवासी हैं, जिनका कारबार का मुख्य स्थान [कारबार के मुख्य स्थान का पता] पर है ('अधिमानित बोली लगाने वाले') को [भारतीय रुपए (शब्दों में)] [अंकों में] के बराबर रकम के लिए बिना शर्त और अप्रतिसंहरणीय बैंक प्रत्याभूति अनुदत्त करना अपेक्षित है जो संपादन प्रतिभूति के रूप में [संपादन बैंक प्रत्याभूति के अवसान की तारीख] ("अवसान तारीख") तक वैध है।

परंतुक कि अधिमानित बोली लगाने वाले के किसी भी संदर्भ का अर्थ अपतट क्षेत्र खनिज (नीलामी) नियम, 2024 के नियम 10 के उप-नियम (4) की शर्तों की पूर्ति पर सफल बोली लगाने वाला होगा।

ख. निविदा दस्तावेज के अधीन कतिपय बाध्याताओं के निर्वहन के लिए, भारत सरकार ("केन्द्रीय सरकार") के खान मंत्रालय के प्रतिनिधि के रूप में भारत के राष्ट्रपति को संपादन प्रतिभूति अनुदत्त की जानी अपेक्षित है, जो अपतट खनिज विकास और उत्पादन करार की नीलामी [नीलामी की विशिष्टियां] के संबंध में है, जिसे केन्द्रीय सरकार और अधिमानित बोली लगाने वाले के बीच निष्पादित किया जाएगा और उत्पादन पट्टा विलेख, जिसे केन्द्रीय सरकार और अधिमानित बोली लगाने वाले (सामूहिक रूप से "करार") के बीच निष्पादित किया जाएगा।

ग. हम, [बैंक का नाम] ("बैंक") अधिमानित बोली लगाने वाले के अनुरोध पर, केंद्रीय सरकार को भारतीय रुपए [अंकों में] (भारतीय रुपए [शब्दों में]) ("प्रत्याभूति रकम") से अनधिक रकम का संदाय करने

का वचन देते हैं, ताकि इसमें अंतर्विष्ट नियमों और शर्तों पर केंद्रीय सरकार की मांग पर इस करार के अधीन सफल बोली लगाने वाले के दायित्वों को सुनिश्चित किया जा सके।

अत: अब, यह बैंक सफल बोली लगाने वाले की ओर से प्रत्याभूति रकम में केंद्रीय सरकार के पक्ष में यह अप्रतिसंहरणीय और बिना शर्त संदाय बैंक प्रत्याभूति ("प्रत्याभूति") जारी करता है:

1. इस उद्देश्य के लिए बैंक बिना शर्त और अप्रतिसंहरणीय रूप से केंद्रीय सरकार को बिना किसी आपत्ति, आरक्षण, केवियट, विरोध या अवलंबन के, केंद्रीय सरकार से पहली लिखित मांग प्राप्त होने पर तुरंत, रशि या रशियों (एक या अधिक दावों के माध्यम से) का, जो कुल मिलाकर प्रत्याभूति रकम से अधिक नहीं होगी, बिना केंद्रीय सरकार को बैंक को उसमें विनिर्दिष्ट रकम के लिए ऐसी मांग के आधार या कारण साबित करने या दिखाने की आवश्यकता के और किसी भी मामले पर केंद्रीय सरकार और सफल बोली लगाने वाले के बीच किसी भी विवाद या मतभेद के बावजूद। बैंक किसी भी मामले में सफल बोली लगाने वाले द्वारा किसी भी न्यायालय या अधिकरण के समक्ष लंबित किसी भी मुकदमे या कार्यवाही में उठाए गए किसी भी विवाद या विवादों के बावजूद केंद्रीय सरकार को इस तरह की मांग की गई किसी भी रकम का संदाय करने का वचन देता है, इस वर्तमान प्रणाली के अधीन बैंक का दायित्व पूर्ण और स्पष्ट है।
2. बैंक यह स्वीकार करता है कि बैंक द्वारा केंद्रीय सरकार को संदेय रकम की केंद्रीय सरकार द्वारा की गई ऐसी कोई भी मांग, सफल बोली लगाने वाले द्वारा करार के अधीन केंद्रीय सरकार को संदेय रकम के संबंध में अंतिम, बाध्यकारी और निर्णायक साक्ष्य होगी।
3. बैंक इस प्रकार केंद्रीय सरकार द्वारा सफल बोली लगाने वाले से पूर्वोक्त रकम या उसके किसी भाग की मांग करने की आवश्यकता को समाप्त करता है और साथ ही बैंक को इस प्रत्याभूति के अधीन संदाय के लिए बैंक को कोई लिखित मांग प्रस्तुत करने से पहले केंद्रीय सरकार से सफल बोली लगाने वाले के विरुद्ध अपने विधिक उपचार अग्रसर करने की मांग करने के किसी भी अधिकार को भी समाप्त करता है।
4. बैंक केंद्रीय सरकार के साथ बिना शर्त सहमत है कि केंद्रीय सरकार, बैंक की सहमति के बिना और इस प्रत्याभूति के अधीन बैंक की बाध्यता को किसी भी तरह से प्रभावित किए बिना, समय-समय पर निम्नलिखित के लिए स्वतंत्र होगी:
 (i) करार की निबंधन और शर्तो में परिवर्तन और/या उपांतरण;
 (ii) करार के अधीन सफल बोली लगाने वाले की बाध्यताओं के संपादन के लिए समय को बढ़ाना और/या स्थगित करना, या
 (iii) करार के निबंधन और शर्तों के अधीन सफल बोली लगाने वाले के विरुद्ध केंद्रीय सरकार द्वारा प्रयोग किए जाने वाले किसी भी अधिकार को छोड़ना या लागू करना।

और बैंक केंद्रीय सरकार की ओर से किसी ऐसे कार्य या चूक या केंद्रीय सरकार द्वारा सफल बोली लगाने वाले को दी गई किसी छूट या अन्य किसी भी कारण से अपने दायित्व से मुक्त नहीं होगा, जैसा कि प्रतिभूति से संबंधित विधि के अधीन होता है, परन्तु इस उपबंधन के अधीन, जो इस प्रत्याभूति के अधीन बैंक को उसकी बाध्यताओं से मुक्त करती है।

5. इसके अधीन किया गया कोई भी संदाय वर्तमान या भविष्य के करों, उद्ग्रहण, अधिरोपण, शुल्क, प्रभार, फीस, कमीशन, किसी भी प्रकार की कटौतियों या विधारितों हेतु या उनके कारण किसी भी कटौती से मुक्त होगा।
6. बैंक सहमत है कि केंद्रीय सरकार के पास विकल्प के रूप में यह हक होगा कि वह प्रथमतः सफल बोली लगाने वाले के विरुद्ध कार्यवाही किए बिना बैंक के विरुद्ध इस प्रत्याभूति को लागू करे, क्योंकि वह एक प्रमुख देनदार है।
7. बैंक आगे सहमत है कि इसमें अंतर्विष्ट प्रत्याभूति समझौते में विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान पूरी तरह से लागू रहेगी और यह तब तक लागू रहेगी जब तक कि संपादन प्रतिभूति के संबंध में उक्त करार के अधीन या इसके आधार पर सफल बोली लगाने वाले के सभी दायित्वों का पूरी तरह से संदाय नहीं कर दिया जाता है और उसके दावों को केंद्रीय सरकार का सकमाधान होने पर पूर्ण या निर्वहन नहीं कर दिया जाता है या जब तक कि केंद्रीय सरकार यह प्रमाणित नहीं कर देती है कि संपादन प्रतिभूति के संबंध में करार की के निबंधन और शर्तों को सफल बोली लगाने वाले द्वारा पूरी तरह से और उचित रूप से पूरा किया गया है और तदनुसार इस प्रत्याभूति का निर्वहन किया गया है। इसमें अंतर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए भी, जब तक कि इस प्रत्याभूति के अधीन बैंक पर समाप्ति तारीख पर या उससे पहले लिखित रूप में कोई मांग या दावा नहीं किया जाता, बैंक को तत्पश्चात् इस प्रत्याभूति के अधीन सभी दायित्वों से उन्मोचित कर दिया जाएगा।
8. इस प्रत्याभूति के अधीन बैंक द्वारा किया गया यह संदाय, इसके अधीन संदाय हेतु बैंक के दायित्व का वैध उन्मोचन होगा और कोई भी व्यक्ति ऐसे संदाय के लिए बैंक के विरुद्ध कोई दावा नहीं कर सकेगा।
9. यह प्रत्याभूति भारत की विधियों के अधीन है। इस प्रत्याभूति या इसके विषय से उत्पन्न होने वाला कोई भी मुकदमा, कार्रवाई या अन्य कार्यवाही नई दिल्ली, भारत में न्यायालयों के अनन्य अधिकारिता के अधीन होगी।
10. बैंक इसका प्रतिनिधित्व करता है कि उसके पास केंद्रीय सरकार के पक्ष में इस प्रत्याभूति को जारी करने का अधिकार और शक्ति है। बैंक के संविधान में परिवर्तन के कारण यह प्रत्याभूति उन्मोचित नहीं होगी।

11. बैंक लिखित रूप में केंद्रीय सरकार की पूर्व सहमति के सिवाय इसकी मुद्रा के दौरान इस प्रत्याभूति को बातिल नहीं करने का वचन देता है।

12. केन्द्रीय सरकार, बैंक को पूर्व सूचना देकर, इस प्रत्याभूति के अधीन अधिकार किसी अन्य विभाग, मंत्रालय या किसी सरकारी अभिकरण को सौंप सकती है, जो राष्ट्रपति के नाम से कार्य कर सकती है। इस खंड 12 में अधीन प्रावधानों को छोड़कर, यह प्रत्याभूति किसी को सौंपी या अंतरित नहीं की जा सकती।

13. इसमें अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी,

 क. इस बैंक प्रत्याभूति के अधीन बैंक का दायित्व प्रत्याभूति रकम से अधिक नहीं होगा।

 ख. यह बैंक प्रत्याभूति अवसान की तारीख तक विधिमान्य रहेगी।

14. बैंक, इस बैंक प्रत्याभूति के अधीन प्रत्याभूति रकम या उसके किसी भाग का संदाय केवल तभी करने के लिए दायी है, जब केन्द्रीय सरकार अवसान तारीख को या उससे पहले बैंक को लिखित दावा या मांग प्रस्तुत करे।

बैंक के लिए तारीख [दिन] का दिन [मास] [वर्ष] ।

इसके साक्ष्यस्वरुप बैंक अपने प्राधिकृत अधिकारी के माध्यम से अपना हस्ताक्षर और मुहर लगाता है।

(हस्ताक्षर)

———————

(नाम और पदनाम) (बैंक स्टाम्प)

IndiaCode

अनुसूची 3

संयुक्त अनुज्ञप्ति के लिए संपादन प्रतिभूति का फॉर्मेट

[नियम 19 देखिए]

[बैंक का संदर्भ संख्या] [तारीख]

सेवा में

भारत के राष्ट्रपति

[पता]

जबकि

क. [अधिमानित बोली लगाने वाले का नाम] भारत में कंपनी अधिनियम, [2013] के अधीन निगमित है, जिसकी कॉर्पोरेट पहचान संख्या [अधिमानित बोली लगाने वाले का सीआईएन] है, जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय [रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता], भारत में है और कारबार का मुख्य स्थान [पंजीकृत कार्यालय से भिन्न होने पर कारबार के मुख्य स्थान का पता] है या [व्यष्टिक का नाम] जो भारत का नागरिक है, जिसके पास आयकर स्थायी खाता संख्या [संख्या] है, जो [पता] पर रहता है या [साझेदारी फर्म/ व्यष्टिकों का संगम], जिसके सभी सदस्य भारतीय नागरिक हैं और भारत के निवासी हैं, जिनका कारबार का मुख्य स्थान [कारबार के मुख्य स्थान का पता] पर है ('अधिमानित बोली लगाने वाले') को (भारतीय रुपए [आंकड़े]) (भारतीय रुपए [शब्द]) के बराबर रकम के लिए जिसको [●]([●]) वर्ष की प्रारंभिक अवधि के लिए इस तारीख तक ("अवसान तारीख") वैध संपादन प्रतिभूति के रूप में बिना शर्त और अप्रतिसंहरणीय बैंक प्रत्याभूति अनुदत्त करना आवश्यक है।

परंतु कि अधिमानित बोली लगाने वाले के किसी भी संदर्भ का अर्थ अपतट क्षेत्र खनिज (नीलामी) नियम, 2024 के नियम 18 के उप-नियम (3) की शर्तों को पूरा करने पर सफल बोली लगाने वाला होगा।

ख. संपादन प्रतिभूति भारत के राष्ट्रपति को खान मंत्रालय, भारत सरकार ("केंद्रीय सरकार") के प्रतिनिधि के रूप में किया जाना अपेक्षित है, जो [नीलामी की विशिष्टयां] की नीलामी और केंद्रीय सरकार और अधिमानित बोली लगाने वाले के बीच निष्पादित की जाने वाली संयुक्त

अनुज्ञप्ति के गवेषण अनुज्ञप्ति विलेख और केंद्रीय सरकार तथा अधिमानित बोली लगाने वाले के बीच निष्पादित किए जाने वाले अपतट खनिज विकास और उत्पादन करार और केंद्रीय सरकार और अधिमानित बोली लगाने वाले के बीच निष्पादित किए जाने वाले उत्पादन पट्टा विलेख (सामूहिक रूप से "करार") के संबंध में [तारीख] के निविदा दस्तावेज के अधीन कतिपय बाध्यताओं के निर्वहन के लिए है।

ग. हम, [बैंक का नाम] ("बैंक") अधिमानित बोली लगाने वाले या सफल बोली लगाने वाले के अनुरोध पर, केंद्रीय सरकार से मांग पर करार के अधीन अधिमानित बोली लगाने वाले या सफल बोली लगाने वाले की बाध्यताओं को सुरक्षित करने के लिए इसमें अंतर्विष्ट निबंधनों और शर्तों के केंद्रीय सरकार को (भारतीय रुपए [अंकों में]) (भारतीय रुपए [शब्दों में]) ("प्रत्याभूति रकम") से अनधिक रकम का संदाय करने का वचन देते हैं।

अत: अब, बैंक इस प्रकार प्रत्याभूति रकम में अधिमानित बोली लगाने वाले की ओर से केंद्रीय सरकार के पक्ष में यह अप्रतिसंहरणीय और बिना शर्त संदाय बैंक प्रत्याभूति ("प्रत्याभूति") जारी करता है:

1. इस उद्देश्य के लिए बैंक बिना शर्त और अप्रतिसंहरणीय रूप से राज्य से पहली लिखित मांग प्राप्त होने पर तुरंत बिना किसी आपत्ति, आरक्षण, केवियट, विरोध या अवलंबन के केंद्रीय सरकार को रकम या रकमों (एक या अधिक दावों के माध्यम से) का, जो कुल मिलाकर प्रत्याभूति रकम से अधिक नहीं होगी, बिना केंद्रीय सरकार को बैंक को इस तरह की मांग के लिए आधार या कारण साबित करने या दिखाने की आवश्यकता के और किसी भी मामले पर केंद्रीय सरकार और अधिमानित बोली लगाने वाले के बीच किसी भी विवाद या मतभेद के बावजूद संदाय करने का वचन देता है। बैंक इस प्रकार मांगी गई किसी भी धनरशि का संदाय केन्द्रीय सरकार को करने का वचन देता है, भले ही इससे संबंधित किसी न्यायालय या अधिकरण के समक्ष लंबित किसी मुकदमे या कार्यवाही में सफल बोली लगाने वाले द्वारा कोई विवाद या विवाद उत्पन्न हो, इस वर्तमान प्रणाली के अधीन बैंक का दायित्व पूर्ण और स्पष्ट है।

2. बैंक यह स्वीकार करता है कि बैंक द्वारा केंद्रीय सरकार को संदेय रकमों की केंद्रीय सरकार द्वारा की गई ऐसी कोई भी मांग, करार के अधीन अधिमानित बोली लगाने वाले द्वारा केंद्रीय सरकार को संदेय रकमों के संबंध में अंतिम, बाध्यकारी और निर्णायक साक्ष्य होगी।

3. बैंक इस प्रकार केंद्रीय सरकार द्वारा अधिमानित बोली लगाने वाले से पूर्वोक्त रकम या उसके किसी भाग की मांग करने की आवश्यकता को समाप्त करता है और साथ ही बैंक को इस प्रत्याभूति के अधीन संदाय के लिए बैंक को कोई लिखित मांग प्रस्तुत करने से पहले केंद्रीय सरकार से अधिमानित बोली लगाने वाले के विरुद्ध अपने विधिक उपचार अग्रसर करने की मांग करने के किसी भी अधिकार को भी समाप्त करता है।

4. बैंक केंद्रीय सरकार के साथ बिना शर्त सहमत है कि केंद्रीय सरकार, बैंक की सहमति के बिना और इस प्रत्याभूति के अधीन बैंक की बाध्यता को किसी भी तरह से प्रभावित किए बिना, समय-समय पर निम्नलिखित के लिए स्वतंत्र होगी:

 i) करार की निबंधनों और शर्तो में बदलाव और/या उपांतरण करना;

 ii) करार के अधीन अधिमानित बोली लगाने वाले की बाध्यताओं के संपादन के लिए समय को बढ़ाना और/या स्थगित करना, या

 iii) करार के निबंधन और शर्तों के अधीन अधिमानित बोली लगाने वाले के विरुद्ध केंद्रीय सरकार द्वारा प्रयोग किए जाने वाले किसी भी अधिकार को त्यागना या लागू करना, और बैंक केंद्रीय सरकार की ओर से किसी भी ऐसे कार्य या चूक या केंद्रीय सरकार द्वारा अधिमानित बोली लगाने वाले के प्रति किसी भी तरह की रियायत या किसी भी अन्य कारण से अपने दायित्व से मुक्त नहीं होगा, जैसा कि प्रतिभूति से संबंधित विधि के अधीन होता है, परन्तु इस उपबंध के अधीन, जो इस प्रत्याभूति के अधीन बैंक को उसकी बाध्यताओं से मुक्त करती है।

5. इसके अधीन किया गया कोई भी संदाय वर्तमान या भविष्य के करों, उद्ग्रहण, अधिरोपण, शुल्क, प्रभार फीस, कमीशन, किसी भी प्रकार की कटौतियों या किसी भी प्रकार के विधारितों हेतु या उनके कारण किसी भी कटौती से मुक्त होगा।

6. बैंक इस बात से सहमत है कि केंद्रीय सरकार के पास विकल्प के रूप में यह हक होगा कि वह प्रथमत: अधिमानित बोली लगाने वाले के विरुद्ध कार्यवाही किए बिना बैंक के विरुद्ध इस प्रत्याभूति को लागू करे, क्योंकि वह एक प्रमुख देनदार है।

7. बैंक इस बात पर भी सहमत है कि यह बैंक प्रत्याभूति और इसमें अंतर्विष्ट प्रत्याभूति बाध्यताएं पूर्ण रूप से प्रवृत्त रहेंगे और तब तक लागू रहेंगे जब तक: (i) उक्त करार के अधीन या इसके आधार पर संपादन प्रतिभूति के संबंध में अधिमानित बोली लगाने वाले के सभी बाध्यताओं का पूरी तरह से संदाय नहीं कर दिया जाता है और उसके दावों को केंद्रीय सरकार के समाधान हो जाने पर पूर्ण या निर्वहन नहीं कर दिया जाता है; या (ii) जब तक केंद्रीय सरकार यह प्रमाणित नहीं कर देती है कि संपादन प्रतिभूति के संबंध में करार के निबंधन और शर्तों का अधिमानित बोली लगाने वाले द्वारा पूरी तरह से और उचित रूप से पालन किया गया है और तद्नुसार इस प्रत्याभूति का निर्वहन किया गया है; या (iii) अपतट क्षेत्र खनिज (नीलामी) नियम, 2024 के नियम 19 के उप-नियम (2) के अधीन पुनरीक्षित संपादन प्रतिभूति के उपबंध पर, जो भी बाद में हो। इसमें अंतर्विष्ट किसी भी बात को लेते हुए भी, जब तक कि इस प्रत्याभूति के अधीन बैंक पर समाप्ति तारीख को या उससे पहले लिखित रूप में कोई मांग या दावा नहीं किया जाता, बैंक को तत्पश्चात इस प्रत्याभूति के अधीन सभी दायित्वों से उन्मोचित कर दिया जाएगा।

8. इस प्रत्याभूति के अधीन बैंक द्वारा किया गया यह संदाय, इसके अधीन संदाय हेतु दायित्व का वैध निर्वहन होगा और कोई भी व्यक्ति ऐसे संदाय के लिए बैंक के विरुद्ध कोई दावा नहीं कर सकेगा।

9. यह प्रत्याभूति भारत की विधि के अधीन है। इस प्रत्याभूति या इसके विषय-वस्तु से उत्पन्न कोई भी मुकदमा, कार्रवाई या अन्य कार्यवाही नई दिल्ली, भारत में न्यायालयों के अनन्य अधिकारिता के अधीन होगी।

10. बैंक को केंद्रीय सरकार के पक्ष में यह प्रत्याभूति जारी करने का अधिकार है।

बैंक के संविधान में परिवर्तन के कारण यह प्रत्याभूति उन्मोचित नहीं होगी।

11. बैंक यह दर्शाता है कि उसके पास लिखित रूप में केंद्रीय सरकार की पूर्व सहमति के बिना इस प्रत्याभूति को इसके मुद्रा के दौरान प्रतिसंहृत करने का अधिकार और शक्ति है।

12. केंद्रीय सरकार, बैंक को पूर्व सूचना देकर, इस प्रत्याभूति के अधीन अधिकार किसी अन्य विभाग, मंत्रालय या किसी सरकारी अभिकरण को सौंप सकती है, जो राष्ट्रपति के नाम पर कार्य कर सकती है।

इस खंड 12 में दिए गए उपबंधों को छोड़कर, यह प्रत्याभूति सौंपने योग्य या अंतरणीय नहीं होगी।

13. इसमें अंतर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए भी,

क. इस बैंक प्रत्याभूति के अधीन बैंक का दायित्व प्रत्याभूति की रकम से अधिक नहीं होगा; और

ख. यह बैंक प्रत्याभूति अवसान की तारीख तक विधिमान्य होगी।

14. बैंक इस बैंक प्रत्याभूति के अधीन प्रत्याभूति रकम या उसके किसी भाग का संदाय केवल तभी करने के लिए उत्तरदायी है जब केंद्रीय सरकार अवसान तारीख को या उससे पहले बैंक को लिखित दावा या मांग प्रस्तुत करेगी।

बैंक के लिए [दिन] का दिन [मास] [वर्ष] ।

इसके साक्ष्यस्वरुप बैंक ने अपने प्राधिकृत अधिकारी के माध्यम से अपना हस्ताक्षर और मुहर लगाई है।

(हस्ताक्षर)

(नाम और पदनाम)

(बैंक मुहर)।

[फा. सं. एम.VI-1/7/2023-खान VI]

डा. वीणा कुमारी डर्मल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF MINES

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th August, 2024

G.S.R. 502(E).— In exercise of the powers conferred by section 35 of the Offshore Areas Mineral (Development and Regulation) Act, 2002 (17 of 2003), the Central Government hereby makes the following rules, namely: —

CHAPTER I PRELIMINARY

1. Short title and commencement. — (1) These rules may be called the Offshore Areas Mineral (Auction) Rules, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions. — (1) In these rules, unless the context otherwise requires, —

(a) "Act" means the Offshore Areas Mineral (Development and Regulation) Act, 2002 (17 of 2003);

(b) "Area" shall have the meaning as assigned to 'offshore areas' under clause (n) of section 4;

(c) "mineral block" means an area identified by the specific latitude and specific longitude comprising of contiguous standard blocks as specified in the tender document issued by the administering authority in accordance with the provisions of the Act;

(d) "Offshore Mineral Development and Production Agreement" means the agreement referred to in sub-rule (5) of rule 10 or sub-rule (8) of rule 18;

(e) "preferred bidder" means the bidder referred to in sub-rule (9) of rule 9;

(f) "qualified bidders" means the bidder referred to in sub-rule (8) of rule 9;

(g) "reserve price" means the minimum percentage of value of mineral dispatched as referred to in sub-rule (1) of rule 8;

(h) "Schedule" means a Schedule appended to these rules;

(i) "section" means a section of the Act;

(j) "security instrument" means the bank guarantee substantially in the form provided in Schedule II and Schedule III to these rules, security deposit or such other instrumentas may be specified by the Central Government in the Ministry of Mines that is furnished as bid security or performance security in accordance with these rules.

(k) "successful bidder" means the bidder as referred to in sub-rule (4) of rule 10 or sub-rule (3) of rule 18;

(l) "technically qualified bidders" means the bidder as referred to in sub-rule (6) of rule 9;

(m) "tender document" means the tender document issued by the administering authority for conduct of an auction referred to in sub-rule (2) of rule 9;

(n) "upfront payment" means the payment referred to in sub-rule (1) of rule 11;

(o) "value of estimated resources" means an amount equal to the product of, —

(i) the estimated quantity of mineral resources for which the mineral block is being auctioned, expressed in metric tonne; and

(ii) the average price per metric tonne of such mineral or mineral grade as published by the Indian Bureau of Mines for a period of twelve months immediately preceding the month of computation of the value of estimated resources:

Provided that if for any mineral or mineral grade, the average sale price for any month is not published by the Indian Bureau of Mines, the average sale price for the latest month published for such mineral or mineral grade shall be deemed to be the average sale price for the said month for which average sale price is not published:

Provided further that if for any mineral or mineral grade, the average sale price is not published for the entire period of the preceding twelve months, then average sale price for such mineral or mineral grade shall be as specified by Indian Bureau of Mines; and

(p) "value of mineral dispatched" shall have the meaning specified in sub-rule (2) of rule 8.

(2) The words and expressions used in these rules but not defined herein shall have the same meaning as assigned to them in the Act or rules made thereunder.

3. Application. —These rules shall apply to all minerals, except, —

(i) mineral oils and hydrocarbons described in sub-section (1) of section 3; and

(ii) minerals specified in Part B of the First Schedule to the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957) having grade equal to or greater than the threshold value as notified by the Central Government from time to time.

4. Grant of operating right. — (1) Where existence of mineral resources in an area has been established as specified in the Offshore Areas (Existence of Mineral Resources) Rules, 2024, production lease shall be granted in the manner specified under Chapter II of these rules.

(2) A composite licence with respect to an area where requirements specified in rule 5 of the Offshore Areas (Existence of Mineral Resources) Rules, 2024 have been satisfied, shall be granted in the manner specified under Chapter III of these rules.

CHAPTER II

GRANT OF PRODUCTION LEASE

5. Prerequisites for auction of Production Lease. — (1) The administering authority may initiate an auction process for grant of a production lease in accordance with section 13 with respect to an area if the existence of mineral resources in such area has been established in terms of the provisions of the Offshore Areas (Existence of Mineral Resources) Rules, 2024.

(2) The administering authority shall, prior to issuance of the notice inviting tender with respect to mineral auction and with the prior approval of the Central Government, identify the mineral block for which a production lease is proposed to be granted through auction by specifying the latitude and longitude of the boundary corners of such mineral block.

6. Eligibility for Production Lease. — (1) For the purpose of participating in the auction of production lease, an applicant shall have to fulfill the requirements as specified in section 6 and the terms and conditions of eligibility as specified in Schedule I.

(2) The successful bidder shall be decided solely on the basis of the financial bids submitted by the bidders, and meeting the eligibility conditions specified in Schedule I read with the terms and conditions of the tender documents.

(3) A bidder shall submit only one bid in an auction of a mineral block and no affiliate of a bidder shall submit a bid in the same auction where such bidder has submitted bid.

(4) In case a bidder submits more than one bid in an auction of a mineral block or an affiliate of a bidder submits bid in same auction where such bidder has submitted bid, the bids submitted by the bidder and its affiliate shall be rejected.

Explanation. — For the purpose of this rule, —

(i) "affiliate" with respect to a bidder shall mean a person who, —

(a) controls such bidder;

(b) is controlled by such bidder;

(c) is under common control with such bidder;

(d) is an associate company of the bidder; or

(e) is a subsidiary company of such bidder.

(ii) the expressions "associate company", "control" and "subsidiary company" shall have the same meaning as assigned to them in the Companies Act, 2013 (18 of 2013).

7. Electronic Auction. — (1) An auction shall be conducted only through an online electronic auction platform.

(2) The administering authority may utilise any online electronic auction platform which meets the minimum technical and security requirements as specified in the Guidelines for compliance to Quality requirements of e-Procurement Systems issued by the Standardisation Testing and Quality Certification Directorate, Department of Information Technology, Ministry of Communications and Information Technology, Government of India.

8. Bidding parameters. — (1) The administering authority shall specify in the tender document the minimum percentage of the value of mineral dispatched, which shall be known as the "reserve price".

(2) The value of mineral dispatched shall be an amount equal to the product of, —

(a) mineral dispatched in a month; and

(b) sale price of the mineral (grade-wise) as published by the Indian Bureau of Mines for such month of dispatch.

(3) The bidders shall quote, as per the bidding parameter, for the purpose of payment to the Central Government, a percentage of value of mineral dispatched equal to or above the reserve price and the successful bidder shall pay to the Central Government, an amount equal to the product of, —

(a) percentage so quoted; and

(b) value of mineral dispatched.

(4) Where an area is being auctioned for more than one mineral, the percentage of value of mineral dispatched as quoted by the successful bidder under sub-rule (3), shall be applicable for the purpose of payment to the Central Government in respect of each such mineral.

(5) If subsequent to grant of aproduction lease, one or more new minerals are discovered, the percentage of value of mineral dispatched as quoted by the successful bidder under sub-rule (3) shall be applicable for the purpose of payment to the Central Government in respect of each such mineral:

Provided that if such subsequently discovered minerals are minerals specified in Part D of the

First Schedule or the Seventh Schedule to the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957), ten per cent. of the percentage of value of mineral dispatched as quoted by the successful bidder under sub-rule (3) shall be applicable for the purpose of payment to the Central Government in respect of each such mineral.

9. Bidding Process. — (1) Subject to the provisions of rule 5, the administering authority shall issue a notice inviting tender, including on their website, to commence the auction process and such notice shall contain brief particulars regarding the mineral block under auction, including, —

(a) particulars of the mineral block for which a production lease is proposed to be granted through auction by specifying the latitude and longitude of the boundary corners of such mineral block;

(b) estimated mineral resources and brief particulars regarding existence of mineral resources with respect to all minerals discovered in the mineral block during exploration in accordance with the provisions of the Offshore Areas (Existence of Mineral Resources) Rules, 2024.

(2) The tender document issued by the administering authority shall contain, —

(a) geological report pursuant to the Offshore Areas (Existence of Mineral Resources) Rules, 2024 specifying particulars and estimated quantities of all minerals discovered in the mineral block;

(b) particulars of the mineral block identified by specifying the latitude and longitude of the boundary corners of such mineral block; and

(c) particulars of any licence or lease granted by any government authority, including in relation to petroleum and natural gas or wind power project, or any infrastructure projects such as port, cable, pipeline in existence in the mineral block at the time of auction.

(3) The bidders shall be provided a fixed period, as specified in the tender document, to study the tender document and such reports and the bidding process shall commence only on expiry of such period.

(4) The auction shall be an ascending forward online electronic auction and shall comprise of attempts of auction with each attempt of auction consisting of a first round of auction and a second round of auction.

(5) In the first round of auction, the bidders shall submit, —

(a) a technical bid comprising amongst others, documentary evidence to confirm eligibility as per the provisions of the Act and the rules made thereunder to participate in the auction, bid security and such other documents and payments as may be specified in the tender document; and

(b) an initial price offer which shall be a percentage of value of mineral dispatched:

Provided that bid security shall be for an amount equivalent to 0.25 per cent. of the value of estimated resources or ten crore rupees, whichever is lower, and shall be submitted by way of a security instrument:

Provided further that in auction for grant of composite licence for the mineral block having such type of deposit whose estimated quantity of mineral resources is not possible to be assessed for calculating the value of estimated resources under clause (o) of sub-rule (1) of rule 2, but the mineral potentiality of the mineral block has been identified based on the existing geoscience data, the bid security shall be five lakh rupees per standard block:

Provided also that in case the area proposed by a person under sub-rule (2) of rule 5 of

the Offshore Areas (Existence of Mineral Resources) Rules, 2024 is put up for auction to grant a composite licence, such person shall be required to submit the bid security of only fifty per cent. of the amount specified in this clause for participating in the auction for the said area.

(6) Only those bidders who are found to be eligible in accordance with the terms and conditions of eligibility specified in rule 6 and whose initial price offer is equal to or greater than the reserve price, referred to as "technically qualified bidders", shall be considered for the second round of auction.

(7) The highest initial price offer amongst the technically qualified bidders shall be the floor price for the second round of online electronic auction.

(8) The technically qualified bidders shall be ranked on the basis of the descending initial price offer submitted by them and the technically qualified bidders holding the first fifty per cent. of the ranks (with any fraction rounded off to higher integer) or the top five technically qualified bidders, whichever is higher, shall qualify as qualified bidders for participating in the second round of electronic auction:

Provided that if the number of technically qualified bidders is between three and five, then all the technically qualified bidders shall be considered as qualified bidders:

Provided further that in the event of identical initial price offers being submitted by two or more technically qualified bidders, all such technically qualified bidders shall be assigned the same rank for the purposes of determination of qualified bidders and in such case, the aforementioned fifty per cent. shall stand enhanced to the extent of tie occurring within the first fifty per cent.

Illustration

In the event there are a total of ten technically qualified bidders, and each technically qualified bidder submits different initial price offer, then the technically qualified bidders holding the first fifty per cent. of ranks shall be considered to be qualified bidders.

If three such technically qualified bidders submit the same initial price offer and are ranked in first fifty per cent. of the total number of ranks, then, all the three technically qualified bidders shall be considered to be qualified bidders and the total number of qualified bidders shall stand increased by two.

(9) Where the total number of technically qualified bidders is three or more, the auction process shall proceed to the second round of auction which shall be held in the following manner, namely: —

(a) The qualified bidders may submit their final price offer which shall be a percentage of value of mineral dispatched and greater than the floor price:

Provided that the final price offer may be revised till the conclusion of the auction as per the technical specifications of the auction platform;

(b) The auction process shall be annulled if none of the qualified bidders submits a final price offer on the online electronic auction platform;

(c) The qualified bidder who submits the highest final price offer shall, subject to receipt of approval from the Central Government, be declared as the "preferred bidder", immediately on conclusion of the auction.

(10) Where the total number of technically qualified bidders is less than three, then no technically qualified bidder shall be considered to be qualified bidder and the first attempt of auction shall be annulled.

(11) On annulment of the first attempt of auction, the administering authority may decide to, —

(a) commence the auction process de novo with a separate set of terms and conditions and reserve price as it may deem fit and necessary; or

(b) conduct the second attempt of auction.

(12) In case the administering authority decides to conduct the second attempt of auction as per clause (b) of sub-rule (11), the terms and conditions of the second attempt of auction shall remain the same as in the first annulled attempt of auction:

Provided that the highest initial price offer of the technically qualified bidders (if any) in the first annulled attempt shall be the reserve price in first round of the second attempt:

Provided further that the bidding shall continue to the second round even in case the number of technically qualified bidders is less than three and even in case of a single technically qualified bidder.

(13) Upon the annulment or failure of the second attempt of auction, the administering authority may, after obtaining the approval of the Central Government, commence the auction process de novo with a separate set of terms and conditions and reserve price as it may deem fit necessary.

10. Grant of Production Lease. — (1) The preferred bidder shall submit the first instalment of the upfront payment as per rule 11 within fifteen days after being declared as preferred bidder:

Provided that the administering authority may, for reasons to be recorded in writing extend the period of fifteen days by further fifteen days.

(2) In case the preferred bidder fails to submit the first instalment of the upfront amount within the period or extended period specified in sub-rule (1), the administering authority shall, —

(a) forfeit the bid security of the preferred bidder; and

(b) offer the bidder who had submitted the second-highest price offer in the second round of auction to meet the highest final price offer and if the said bidder agrees to the said offer in writing and submit the first instalment of upfront amount within fifteen days of receipt of offer, the administering authority shall, subject to receipt of approval from the Central Government, declare the said bidder as the preferred bidder and issue a letter of intent in accordance with sub-rule (3):

Provided that the administering authority may, for the reasons to be recorded in writing, extend the period of fifteen days referred to in this clause by further fifteen days.

(3) Upon receipt of the first instalment of the upfront payment, the administering authority shall issue a letter of intent to the preferred bidder within fifteen days of receipt of first instalment of upfront payment.

(4) The preferred bidder shall be considered to be the "successful bidder" upon, —

(a) continuing to be in compliance with all the terms and conditions of eligibility;

(b) payment of the second instalment of the upfront payment;

(c) furnishing performance security as specified in rule 12;

(d) satisfying the conditions specified in the rules framed under the Act with respect to a production plan; and

(e) satisfying such other conditions as may be specified by the administering authority with prior approval of the Central Government.

(5) The successful bidder shall sign the Offshore Mineral Development and Production Agreement with the Central Government upon obtaining all consents, approvals, permits, no-objections and the like as may be required under applicable laws for commencement of production operations.

(6) The successful bidder shall pay the third instalment of the upfront payment subsequent to execution of the Offshore Mineral Development and Production Agreement, and upon such payment the Central Government shall grant a production lease to the successful bidder.

(7) The production lease deed shall be executed by the Central Government within a period of thirty days of the date of completion of the conditions specified in sub-rule (6) and shall be subject to the provisions of the Act and the rules made thereunder:

Provided that no production lease deed shall be executed on expiry of a period of three years from the date of the letter of intent, and the letter of intent shall be invalidated leading to annulment of the entire process of auction:

Provided further that the administering authority with approval of the Central Government may allow a further period of two years for execution of the production lease deed if the reasons for delay were beyond the control of the preferred bidder.

(8) The holder of the letter of intent shall comply with all the requirements to execute the production lease deed within the period referred to in sub-rule (7), failing which, the letter of intent shall be revoked and the bid security or the performance security, as the case may be, and any instalment of upfront payment paid shall be forfeited, and the preferred bidder or successful bidder may be debarred by the Central Government from participating in the future auction of mineral blocks conducted under the provisions of these rules, for three years from the date of such debarment.

(9) The production lease shall be for minerals found in the mineral block pursuant to exploration prior to the auction:

Provided that where, subsequent to the auction, one or more new minerals are discovered, then the holder of production lease shall follow the provisions of the rules framed under the Act for inclusion of such new mineral in the production lease deed.

(10) The date on which a duly executed production lease deed is registered shall be the date of commencement of the production lease.

11. Upfront payment for production lease. — (1) An amount equal to, lower of: (i) 0.25 per cent. of the value of estimated resources;

(ii) fifty crore rupees, shall be the upfront payment.

(2) The upfront payment shall be payable to the Central Government in three instalments of ten per cent.; ten per cent.; and eighty per cent.as specified in the tender document and shall be adjusted in full at the earliest against the amount to be paid under sub-rule (3) of rule 8 on commencement of production of mineral as specified in the tender document.

12. Performance security for production lease. — (1) The preferred bidder shall provide a performance security by way of a security instrument of an amount being lower of: (i) 0.50 per cent. of the value of estimated resources; (ii) one hundred crore rupees. Such performance security shall be adjusted every five years so that it continues to correspond to the required amount (i.e., 0.50 per cent. of the reassessed value of estimated resources or one hundred crore rupees as the case may be) including the value of any newly discovered mineral that may be included in the production lease deed on its discovery:

Provided that the adjusted performance security on reassessment shall, at all times, be not less than one crore rupees per standard block.

(2) The performance security may be invoked as per the provisions of, —

(i) the Offshore Mineral Development and Production Agreement; and

(ii) the Production Lease Deed.

13. **Payments under production lease. — (1)** The lessee shall pay royalties in accordance with section 16 and fixed rent in accordance with section 17 to the Central Government as specified in the Act and the rules made thereunder.

(2) The lessee shall pay the applicable amount quoted under rule 8 to the Central Government on a monthly basis.

(3) The lessee shall contribute such amounts as may be required under the Act to, —

(a) the designated account of the Offshore Areas Mineral Trust; and

(b) the designated account of the Central Government for the contribution towards the International Seabed Authority in accordance with section 18.

(4) The lessee shall also pay such other amounts as may be required under any law for the time being in force to the concerned authorities.

14. **Payment of Interest. —** The lessee or preferred bidder or successful bidder, as the case may be, shall pay simple interest at the rate of twelve per cent. per annum on any payment due to Central Government under these rules, the payment of which is delayed beyond the due date thereof.

15. **Time Period. —** The time period for compliance of rules 10 to 14 shall be as specified in the tender document.

CHAPTER III

GRANT OF COMPOSITE LICENCE

16. **Prerequisites for auction of composite licence. — (1)** The administering authority may initiate an auction process for grant of a composite licence with respect to an area in accordance with section 12 and this Chapter subject to the condition that the requirements of rule 5 of the Offshore Areas (Existence of Mineral Resources) Rules, 2024 have been complied with.

(2) The administering authority shall, prior to issuance of the notice inviting tender with respect to auction and with the prior approval of the Central Government, identify the mineral block for which a composite licence is proposed to be granted through auction by specifying the latitude and longitude of the boundary corners of such mineral block.

17. **Auction for composite licence. —**The eligibility conditions and auction process as specified in rules 6 to 9 shall be applicable for conduct of auction for grant of a composite licence subject to the following, namely: —

(a) the administering authority shall subject to compliance of rule 16, issue a notice inviting tender, including on their website, to commence the auction process and such notice shall contain brief particulars regarding the area under auction, including, —

(i) particulars of the mineral block for which a composite licence is proposed to be granted through auction by specifying the latitude and longitude of the boundary corners of such mineral block;

(ii) estimated mineral resources and brief particulars regarding the existence of mineral resources in the mineral block during exploration in accordance with the Offshore Areas (Existence of Mineral Resources) Rules, 2024;

(b) the tender document issued by the administering authority, shall contain, geological report specifying,

(i) particulars and estimated quantities of all minerals discovered in the area during exploration pursuant to Offshore Areas (Existence of Mineral Resources) Rules, 2024;

(ii) details of the area identified; and

(iii) particulars of any licence or lease granted by any government authority, including in relation to petroleum and natural gas or wind power project, or any infrastructure projects such as port, cable, pipeline in existence in the mineral block at the time of auction.

18. Grant of composite licence. — (1) Upon completion of the auction process, the preferred bidder shall submit a performance security in the manner specified in sub-rule (1) of rule 19 within fifteen days after being declared as preferred bidder and upon receipt of such performance security, the administering authority shall issue a letter of intent to the preferred bidder within fifteen days of receipt of performance security:

Provided that the administering authority may, for the reasons to be recorded in writing, extend the period of fifteen days for submission of performance security by further fifteen days.

(2) In case the preferred bidder fails to submit the performance security within the period or extended period specified in sub-rule (1), the administering authority shall, —

(a) forfeit the bid security of the preferred bidder; and

(b) offer the bidder who had submitted second-highest price offer in the second round of auction to meet the highest final price offer and if the said bidder agrees to the said offer in writing and submits the performance security within fifteen days of receipt of offer, the administering authority shall, subject to receipt of approval from the Central Government, declare the said bidder as the preferred bidder and issue letter of intent in accordance with sub-rule (1):

Provided that the administering authority may, for the reasons to be recorded in writing, extend the period of fifteen days by further fifteen days.

(3) On receipt of the letter of intent, the preferred bidder shall be considered to be the "successful bidder" upon fulfilment of the following conditions, namely: —

(a) compliance with all the terms and conditions of eligibility;

(b) obtaining all consents, approvals, permits, no-objections and the like as may be required under applicable laws for commencement of exploration operations; and

(c) submitting the exploration plan.

(4) Upon fulfilment of the conditions specified in sub-rule (3), the Central Government shall grant a composite licence to the successful bidder and such composite licence shall be subject to the provisions of the Act and the rules made thereunder, as applicable to the composite licence and production lease:

Provided that on expiry of a period of one year from the date of the letter of intent, if no Exploration Licence Deed of Composite Licence is executed then the letter of intent shall be invalidated leading to annulment of the entire process of auction:

Provided further that the administering authority may allow a further period of six months for execution of the Exploration Licence Deed of Composite Licence, if the reasons for delay were beyond the control of the preferred bidder.

(5) The holder of a composite licence shall conduct exploration operations of the area under the composite licence so as to ascertain existence of mineral resources and shall submit periodic reports in accordance with the Act and the rules made thereunder, as applicable to exploration operations and all reports,

studies and other documentation related to the exploration operations of the area under the composite licence shall be submitted to the Indian Bureau of Mines and administering authority.

(6) If a holder of a composite licence, —

(a) fails to complete exploration operations in accordance with sub-section (3) of section 12 or fails to establish the existence of mineral resourcesin accordance with the Offshore Areas (Existence of Mineral Resources) Rules, 2024, or fails to comply with the terms and conditions of the composite licence or the requirements of the Act and the rules prescribed thereunder such holder shall not be eligible to receive a production lease and the composite licence shall be terminated;

(b) completes exploration operations and submits to the Indian Bureau of Mines and the administering authority the result of the exploration operations in the form of a geological report resulting in determination of existence of mineral resources conforming to the Offshore Areas (Existence of Mineral Resources) Rules, 2024; specifying the area required for grant of a production lease and makes an application to the administering authority in terms of the rules framed under the Act for grant of a production lease accompanied by first instalment of the upfront payment as specified in rule11;

(7) Upon receipt of the application submitted under and on being satisfied with the existence of mineral resources in accordance with the Offshore Areas (Existence of Mineral Resources) Rules, 2024 and the licensee being in compliance with the terms of the composite licence and the Act including the terms of sub-section (6) of section 12, the administering authority shall make a recommendation to the Central Government for grant of a production lease to the licensee and upon receipt of approval of the Central Government, the administering authority shall issue a letter of intent for production lease:

Provided that any excess area shall be surrendered by the holder of composite licence in accordance with the provisions of the Act and the rules made thereunder:

Provided further that after submission of the geological report prepared in accordance with the Offshore Areas (Existence of Mineral Resources) Rules, 2024, the holder of composite licence may relinquish the entire area in accordance with the rules framed under the Act and in such case the administering authority shall, after being satisfied that the geological report has been prepared conforming to the Offshore Areas (Existence of Mineral Resources) Rules, 2024, return the performance security.

(8) The Offshore Mineral Development and Production Agreement shall be executed between the Central Government and the holder of composite licence if the holder of a composite licence—

(a) continues to comply with the terms and conditions of eligibility;

(b) pays the second instalment being ten per cent. of the upfront payment;

(c) furnishes the enhanced performance security as specified in sub-rule (2) of rule 19;

(d) satisfies the conditions specified in the rules framed under the Act with respect to a production plan;

(e) obtains all consents, approvals, permits, no-objections and the like as may be required under applicable laws for commencement of production operations; and

(f) satisfies such other conditions as may be specified by the administering authority.

(9) The holder of the composite licence shall pay the third instalment being eighty per cent. of the upfront payment, subsequent to execution of the Offshore Mineral Development and Production Agreement,

and upon such payment, the Central Government shall execute a Production Lease Deed with the holder of the composite licence within a period of thirty days of payment of the third instalment:

Provided that no production lease deed shall be executed on expiry of a period of three years from the date of the letter of intent (granted under sub-rule (7) of rule 18 above), and the letter of intent shall be invalidated:

Provided further that the administering authority with approval of the Central Government may allow a further period of two years for execution of the production lease deed if the reasons for delay were beyond the control of the licensee.

(10) The production lease shall be subject to the provisions of the Act and the rules made thereunder.

(11) The production lease shall be for minerals found in the area covered by the composite license pursuant to exploration prior to the auction:

Provided that where subsequent to the auction, one or more new minerals are discovered then the holder of the production lease shall follow the provisions of the rules framed under the Act for inclusion of such new mineral in the production lease deed.

(12) The date on which a duly executed production lease deed is registered shall be the date of commencement of the production lease.

19. Performance Security for composite licence. — (1) An amount being lower of: (i) 0.25 per cent. of the value of estimated resources; (ii) fifty crore rupees, shall be payable or provided by the preferred bidder or licensee, as the case may be, as performance security prior to the issuance of the composite licence:

Provided that for the mineral block having such type of deposit as specified whose estimated quantity of mineral resources is not possible to be assessed for calculating the value of estimated resources under clause (o) of sub-rule (1) of rule 2, but the mineral potentiality of the block has been identified based on the existing geoscience data, the performance security shall be one crore and fifty lakh rupees.

(2) The amount of performance security shall be revised, prior to the issuance of the production lease, to an amount being lower of: (i) 0.50 per cent. of the value of estimated resources established by the holder of the composite licence after completion of exploration operations in accordance with the provision of sub-section (3) and (5) of section 12 resulting in determination of existence of mineral resources conforming to the Offshore Areas (Existence of Mineral Resources) Rules, 2024 (ii) one hundred crore rupees.

(3) The performance security specified under sub-rule (2) shall be adjusted in every five years so that it continues to correspond to amount being lower of: (i) 0.50 per cent. of the reassessed value of estimated resources; (ii) one hundred crore rupees, as the case may be:

Provided that the adjusted performance security shall not be less than one crore rupees per standard block.

(4) The performance security provided by way of security instrument may be invoked as per the provisions of the, —

(i) Exploration Licence Deed of Composite Licence; or

(ii) Offshore Mineral Development and Production Agreement; or

(iii) the Production Lease Deed:

Provided that the administering authority on being satisfied that the holder of composite licence has completed exploration operations in accordance with sub-section (3) and (5) of section 12 but is unable to establish the existence of mineral resources even after making all possible efforts in accordance with the Offshore Areas (Existence of Mineral Resources) Rules, 2024, shall return the performance security provided by the holder of the composite licence:

Provided further that in case the holder of composite licence fails to complete exploration

operations in accordance with sub-section (3) and (5) of section 12, the performance security provided by it shall be forfeited.

CHAPTER IV

MISCELLANEOUS

20. Power to rectify apparent errors. — Any clerical or arithmetical error in any order passed by the Central Government or any authority or officer under these rules and any error arising therein due to accidental slip or omission, may be corrected by the Central Government, the concerned authority or officer, as the case may be:

Provided that no rectification order prejudicial to any person shall be passed unless such person has been given a reasonable opportunity of being heard.

21. Special provisions relating to minerals specified in Part B of the First Schedule to the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957). — (1) Notwithstanding anything contained in these rules—

(a) if the holder of a composite licence or production lease discovers any mineral specified in Part B of the First Schedule to the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957) of a grade equal to or greater than such threshold value as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, specify in the area granted under such licence or lease, the discovery of such mineral shall be reported to the Director, Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research, Hyderabad within sixty days from the date of discovery of such mineral;

(b) the licensee or lessee shall not win or dispose of any mineral specified in Part B of the First Schedule to the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957) of a grade equal to or greater than such threshold value as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, specify;

(c) the quantities of any mineral specified in Part B of the First Schedule to the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957) of a grade equal to or greater than such threshold value as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, specify, recovered incidental to such exploration or production operations shall be collected and stacked separately and a report to that effect shall be sent to the Director, Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research, Hyderabad every month for such further action by the licensee or lessee as may be directed by the Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research.

(2) The licensee or lessee referred to in sub-rule (1) shall, within a period of sixty days from the date of discovery of any mineral specified in Part B of the First Schedule to the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957) of a grade equal to or greater than such threshold value as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, specify, apply to the Secretary, Department of Atomic Energy, Mumbai, through the administering authority, for grant of a licence to handle such minerals under the provisions of the Atomic Energy Act, 1962 (33 of 1962) and the rules made thereunder and the Department of Atomic Energy shall intimate to the administering authority regarding issue of the licence in this regard.

22. Exploration Obligation. — The holder of a production lease shall complete detailed exploration (G1 level exploration) and prepare a detailed feasibility study report conforming to Part IV and V of the Offshore Areas (Existence of Mineral Resources) Rules, 2024 over the entire area under the production lease, within a period of five years from the date of commencement of such production lease.

23. When day of completion of any requirement is a public holiday. — When the day of completion of any requirement under these rules is falling due on a public holiday, the day of completion shall be deemed to be due on the next successive working day.

Explanation. *— The expression "public holiday" includes Saturday, Sunday and any other day declared to be a public holiday by the Central Government.*

SCHEDULE I

Terms and conditions of eligibility

[See rule 6]

1. The following net worth requirements shall be applicable for an auction of production lease depending on the value of estimated resources, namely: —

(a) If the value of estimated resources is equal to or more than one thousand crore rupees, the applicant, including an individual, shall have a net worth more than 2 per cent. of value of estimated resources.

(b) If the value of estimated resources is less than one thousand crore rupees but more than one hundred crore rupees, the applicant, including an individual, shall have a net worth more than 1 per cent. of value of estimated resources.

(c) If the value of estimated resources is less than or equal to one hundred crore rupees, the applicant, including an individual, shall have a net worth more than 0.5 per cent. of value of estimated resources:

Provided that the net worth requirement shall not exceed one hundred crore rupees.

2. In case of auction of composite licence, the applicant shall have a net worth of more than 1 per cent. of the value of estimated resources and where the value of estimated resources is equal or less than one hundred crore rupees, the applicant must have a net worth more than 0.5 per cent. of value of estimated resources:

Provided that the net worth requirement shall not exceed fifty crore rupees:

Provided that for the mineral block having such minerals, whose estimated quantity of mineral resources is not possible to be assessed for calculating the value of estimated resources under clause (o) of sub-rule (1) of rule 2, but the mineral potentiality of the block has been identified based on the existing geoscience data, the applicant shall have a net worth more than or equal to twenty-five crore rupees.

Explanation. —

(1) In case an applicant is a subsidiary of another company incorporated in India, the networth of such holding company may also be considered:

Provided that, in such case, the applicant shall continue to be a subsidiary of such holding company until such time the applicant meets the aforementioned networth threshold.

(2) In case of a company, the net worth shall be the sum of paid up share capital and the free reserves as per the audited balance sheet of the financial year ended immediately preceding the date of issuance of notice inviting tender.

(3) In case the notice inviting tender is issued between 1st April to 30th September (both days inclusive) of a year, the audited balance sheet of the financial year before the immediately preceding financial year, from the date of issuance of notice inviting tender, may be submitted by

IndiaCode

the bidder, if the audited balance sheet of the immediately preceding financial year is not available.

(4) In case of an individual, the net worth shall be the closing cash balance on the last date for submission of application, and such amount may include amount in savings bank accounts in Scheduled Bank or Post Office, free and un-encumbered fixed deposits in Scheduled Banks, Post Office, Listed Companies or Government organisation or Public Sector Undertakings of a State and the Central Government, Kisan Vikas Patra, National Saving certificate, Bonds and Shares of Listed Companies, Listed Mutual Funds, Unit Linked Insurance Plan, Public Provident Fund, Surrender Value of Life Insurance policies, and un-encumbered immovable property in the name of Applicant.

SCHEDULE II

Format of Performance Security for Production Lease

[See rule 12]

[Reference number of the bank] [date]

To

The President of India

[address]

WHEREAS

A. [Name of the Preferred Bidder] incorporated in India under the Companies Act, [2013] with corporate identity number [CIN of the Preferred Bidder], whose registered office is at [address of registered office], India and principal place of business is at [address of principal place of business, if different from registered office] OR [Name of individual] who is citizen of India, having income tax permanent account number [number], residing at [address] OR [partnership firm/association of individuals], all members of whom are Indian citizens and residents of India whose principal place of business is at [address of principal place of business] (the "Preferred Bidder") is required to provide an unconditional and irrevocable bank guarantee for an amount equal to INR [figures] (Indian Rupees [words]) as a performance security valid until [date of expiry of performance bank guarantee] ("Expiry Date").

Provided that any reference to the Preferred Bidder shall mean the Successful Bidder upon fulfilment of the conditions of sub-rule (4) of rule 10 of the Offshore Areas Mineral (Auction) Rules, 2024.

B. The Performance Security is required to be provided to the President of India represented by the Ministry of Mines, Government of India ("Central Government") for discharge of certain obligations under the tender document dated [date] with respect to auction of [particulars of auction], Offshore Mineral Development and Production Agreement to be executed between the Central Government and the Preferred Bidder and the Production Lease Deed to be executed between the Central Government and the Preferred Bidder (collectively the "Agreement").

C. We, [name of the bank] (the "Bank") at the request of the Preferred Bidder do hereby undertake to pay to the Central Government an amount not exceeding INR [figures] (Indian Rupees [words]) ("Guarantee Amount") to secure the obligations of the Successful Bidder under the Agreement on demand from the Central Government on the terms and conditions herein contained herein.

NOW THEREFORE, the Bank hereby issues in favour of the Central Government this irrevocable and unconditional payment bank guarantee (the "Guarantee") on behalf of the Successful Bidder in the Guarantee Amount:

1. The Bank for the purpose hereof unconditionally and irrevocably undertakes to pay to the Central Government without any demur, reservation, caveat, protest or recourse, immediately on receipt of first written demand from the Central Government, a sum or sums (by wayof one or more claims) not

exceeding the Guarantee Amount in the aggregate without the Central Government needing to prove or to show to the Bank grounds or reasons for such demand for the sum specified therein and notwithstanding any dispute or difference between the Central Government and Successful Bidder on any matter whatsoever. The Bank undertakes to pay to the Central Government any money so demanded notwithstanding any dispute or disputes raised by the Successful Bidder in any suit or proceeding pending before any court or tribunal relating thereto the Bank's liability under this present being absolute and unequivocal.

2. The Bank acknowledges that any such demand by the Central Government of the amounts payable by the Bank to the Central Government shall be final, binding and conclusive evidence in respect of the amounts payable by Successful Bidder to the Central Government under the Agreement.

3. The Bank hereby waives the necessity for the Central Government from demanding the aforesaid amount or any part thereof from the Successful Bidder and also waives any right that the Bank may have of first requiring the Central Government to pursue its legal remedies against the Successful Bidder, before presenting any written demand to the Bank for payment under this Guarantee.

4. The Bank further unconditionally agrees with the Central Government that the Central Government shall be at liberty, without the Bank's consent and without affecting in any manner the Bank's obligation under this Guarantee, from time to time to:

 (i) Vary and/or modify and of the terms and conditions of the Agreement;

 (ii) extend and / or postpone the time for performance of the obligations of the Successful Bidder under the Agreement, or

 (iii) forbear or enforce any of the rights exercisable by the Central Government against the Successful Bidder under the terms and conditions of the Agreement.

 And the Bank shall not be relieved from its liability by reason of any such act or omission on the part of the Central Government or any indulgence by the Central Government to the Successful Bidder or other thing whatsoever which under the law relating to sureties would, but for this provision, have the effect of relieving the Bank of its obligations under this Guarantee.

5. Any payment made hereunder shall be made free and clear of and without deduction for, or on account of, any present or future taxes, levies, imposts, duties, charges, fees, commissions, deductions or withholdings of any nature whatsoever.

6. The Bank agrees that Central Government at its option shall be entitled to enforce this Guarantee against the Bank, as a principal debtor in the first instance without proceeding at the first instance against the Successful Bidder.

7. The Bank further agrees that the guarantee herein contained shall remain in full force and effect during the period that is specified in the Agreement and that it shall continue to be enforceable till all the obligations of the Successful Bidder under or by virtue of the said Agreement with respect to the Performance Security have been fully paid and its claims satisfied or discharged to the satisfaction of the Central Government or till the Central Government certifies that the terms and conditions of the Agreement with respect to the Performance Security have been fully and properly carried out by the Successful Bidder and accordingly discharges this guarantee. Notwithstanding anything contained herein, unless a demand or claim under this guarantee is made on the Bank in writing on or before the Expiry Date the Bank shall be discharged from all liability under this guarantee thereafter.

8. The payment so made by the Bank under this Guarantee shall be a valid discharge of Bank's liability for payment thereunder and no person shall have any claim against the Bank for making such payment.

9. This Guarantee is subject to the laws of India. Any suit, action, or other proceedings arising out of this Guarantee or the subject matter hereof shall be subject to the exclusive jurisdiction of courts atNew Delhi, India.

IndiaCode

10. The Bank represents that it has the authority and power to issue this Guarantee in favour of the Central Government. This guarantee will not be discharged due to the change in the constitution of the Bank

11. The Bank undertakes not to revoke this Guarantee during its currency except with the previous consent of the Central Government in writing.

12. The Central Government may, with prior intimation to the Bank, assign the right under this Guarantee to any other departments, ministries or any governmental agencies, which may act in the name of the President. Save as provided in this Clause 12, this Guarantee shall not by assignable or transferable.

13. Notwithstanding anything contained herein,

 a. the liability of the bank under this bank guarantee shall not exceed the Guarantee Amount.

 b. this bank guarantee shall be valid upto the Expiry Date.

14. The Bank is liable to pay the guaranteed amount or any part thereof under this bank guarantee only and only if the Central Government serves upon the Bank a written claim or demand on or before the Expiry Date.

Dated the [day] day of [month] [year] for the Bank.

In witness whereof the Bank, through its authorised officer, has set its hand and stamp.

(Signature)

(Name and Designation) (Bank Stamp)

IndiaCode

SCHEDULE III

Format of Performance Security for Composite Licence

[See rule 19]

[Reference number of the bank] [date]

To

The President of India
[address]

WHEREAS

A. [Name of the Preferred Bidder] incorporated in India under the Companies Act, [2013] with corporate identity number [CIN of the Preferred Bidder], whose registered office is at [address of registered office], India and principal place of business is at [address of principal place of business, if different from registered office] OR [Name of individual] who is citizen of India, having income tax permanent account number [number], residing at [address] OR [partnership firm/association of individuals], all members of whom are Indian citizens and residents of India whose principal place of business is at [address of principal place of business] (the "Preferred Bidder") is required to provide an unconditional and irrevocable bank guarantee for an amount equal to INR [figures] (Indian Rupees [words]) as a performance security valid for an initial period of [●]([●]) years from the date hereof ("Expiry Date").

Provided that any reference to the Preferred Bidder shall mean the Successful Bidder upon fulfilment of the conditions of sub-rule (3) of rule 18 of the Offshore Areas Mineral (Auction) Rules, 2024.

B. The Performance Security is required to be provided to the President of India, represented by the Ministry of Mines, Government of India ("Central Government") for discharge of certain obligations under the Tender Document dated [date] with respect to auction of [particulars of auction] and Exploration Licence Deed of Composite Licence to be executed between the Central Government and the Preferred Bidder and Offshore Mineral Development and Production Agreement to be executed between the Central Government and the Preferred Bidder and the Production Lease Deed to be executed between the Central Government and the Preferred Bidder (collectively the "Agreement").

C. We, [name of the bank] (the "Bank") at the request of the Preferred Bidder or Successful Bidder do hereby undertake to pay to the Central Government an amount not exceeding INR [figures] (Indian Rupees [words]) ("Guarantee Amount") to secure the obligations of the Preferred Bidder or Successful Bidder under the Agreement on demand from the Central Government on the terms and conditions herein contained herein.

NOW, THEREFORE, the Bank hereby issues in favour of the Central Government this irrevocable and unconditional payment bank guarantee (the "Guarantee") on behalf of the Preferred Bidder in the Guarantee Amount:

1. The Bank for the purpose hereof unconditionally and irrevocably undertakes to pay to the Central Government without any demur, reservation, caveat, protest or recourse, immediately on receipt of first written demand from the State, a sum or sums (by way of one or more claims) not exceeding the Guarantee Amount in the aggregate without

the Central Government needing to prove or to show to the Bank grounds or reasons for such demand for the sum specified therein and notwithstanding any dispute or difference between the Central Government and Preferred Bidder on any matter whatsoever. The Bank undertakes to pay to the Central Government any money so demanded notwithstanding any dispute or disputes raised by the or Preferred Bidder in any suit or proceeding pending before any court or tribunal relating thereto the Bank's liability under this present being absolute and unequivocal.

2. The Bank acknowledges that any such demand by the Central Government of the amounts payable by the Bank to the Central Government shall be final, binding and conclusive evidence in respect of the amounts payable by Preferred Bidder to the Central Government under the Agreement.

3. The Bank hereby waives the necessity for the Central Government from demanding the aforesaid amount or any part thereof from the Preferred Bidder and also waives any right that the Bank may have of first requiring the Central Government to pursue its legal remedies against the Preferred Bidder, before presenting any written demand to the Bank for payment under this Guarantee.

4. The Bank further unconditionally agrees with the Central Government that the Central Government shall be at liberty, without the Bank's consent and without affecting in any manner the Bank's obligation under this Guarantee, from time to time to:

 i) vary and/or modify and of the terms and conditions of the Agreement;
 ii) extend and / or postpone the time for performance of the obligations of the Preferred Bidder under the Agreement, or
 iii) forbear or enforce any of the rights exercisable by the Central Government against the Preferred Bidder under the terms and conditions of the Agreement,

 and the Bank shall not be relieved from its liability by reason of any such act or omission on the part of the Central Government or any indulgence by the Central Government to the Preferred Bidder or other thing whatsoever which under the law relating to sureties would, but for this provision, have the effect of relieving the Bank of its obligations under this Guarantee.

5. Any payment made hereunder shall be made free and clear of and without deduction for, or on account of, any present or future taxes, levies, imposts, duties, charges, fees, commissions, deductions or withholdings of any nature whatsoever.

6. The Bank agrees that Central Government at its option shall be entitled to enforce this Guarantee against the Bank, as a principal debtor in the first instance without proceeding at the first instance against the Preferred Bidder.

7. The Bank further agrees that this bank guarantee and the guarantee obligations herein contained shall remain in full force and effect and shall continue to be enforceable till: (i) all the obligations of the Preferred Bidder under or by virtue of the said Agreement with respect to the Performance Security have been fully paid and its claims satisfied or discharged to the satisfaction of the Central Government; or (ii) till the Central Government certifies that the terms and conditions of the Agreement with respect to the Performance Security have been fully and properly carried out by the Preferred Bidder and accordingly discharges this guarantee; or (iii) on provision of a revised performance security under sub-rule (2) of rule 19 of the Offshore Areas Mineral (Auction) Rules, 2024 whichever is later. Notwithstanding anything contained herein, unless a demand or claim under this guarantee is made on the Bank in writing on or before the Expiry Date the Bank shall be discharged from all liability under this guarantee thereafter.

8. The payment so made by the Bank under this Guarantee shall be a valid discharge of Bank's liability for payment thereunder and no person shall have any claim against the Bank for making such payment.

9. This Guarantee is subject to the laws of India. Any suit, action, or other proceedings arising out of this Guarantee or the subject matter hereof shall be subject to the exclusive jurisdiction of courts at New Delhi, India.

10. The Bank has the power to issue this Guarantee in favour of the Central Government. This guarantee will not be discharged due to the change in the constitution of the Bank.

11. The Bank represents that it hasthe authority andpower to revoke this Guarantee during its currency except with the previous consent of the Central Government in writing.

12. The Central Government may, with prior intimation to the Bank, assign the right under this Guarantee to any other departments, ministries or any governmental agencies, which may act in the name of the President.

 Save as provided in this Clause 12, this Guarantee shall not by assignable or transferable.

13. Notwithstanding anything contained herein,

 a. the liability of the bank under this bank guarantee shall not exceed the Guarantee Amount; and

 b. this bank guarantee shall be valid up to the Expiry Date.

14. The Bank is liable to pay the Guaranteed Amount or any part thereof under this bank guarantee only and only if the Central Government serves upon the Bank a written claim or demand on or before the Expiry Date.

Dated the [day] day of [month] [year] for the Bank.

In witness whereof the Bank, through its authorised officer, has set its hand and stamp.

(Signature)

(Name and Designation)

(Bank Stamp).

[F. No. M.VI-1/7/2023-Mines-VI]

Dr. VEENA KUMARI DERMAL, Jt. Secy.

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA